

वर्ष 2018-19 के लेखा-परीक्षा
प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षा
प्रतिवेदन सहित प्रमाणित लेखा
**Certified Accounts with
Audit Certificate and Audit Report
for the year 2018-19**



केन्द्रीय रेशम बोर्ड **CENTRAL SILK BOARD**

वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार

Ministry of Textiles - Govt. of India

के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट

CSB Complex, BTM Layout

होसूर रोड, मडिवाला

Hosur Road, Madiwala

बेंगलूरु **BENGALURU - 560 068**

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु - 560 068

वर्ष 2018 - 2019 के लिए वार्षिक लेखा		
क्र.सं.	अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या
	विवरण	
1	सी एवं ए जी का अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट	I से III
2	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध	IV
3	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर व्याख्यात्मक टिप्पणी	V से VIII
4	31.03.2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र	1 व 2
5	31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष का आय व व्यय लेखा	3
अनुसूचियाँ		
6	अनुसूची -1 समग्र/पूँजी निधि	4
7	अनुसूची -2 प्रारक्षित व अधिशेष	5
8	अनुसूची -3 उद्दिष्ट निधि - निधि-वार ब्यौरा - भाग-I	6
9	अनुसूची -3 उद्दिष्ट निधि - निधि-वार ब्यौरा - भाग-II	7
10	अनुसूची -4 जमानती ऋण एवं उधार	8
11	अनुसूची -5 जमानत रहित ऋण एवं उधार	9
12	अनुसूची -6 आस्थगित ऋण देयताएं	9
13	अनुसूची -7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	10
14	अनुसूची -8 अचल परिसंपत्तियों का ब्योरा	11
15	अनुसूची -9 उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	12
16	अनुसूची -10 निवेश-अन्य	13
17	अनुसूची -11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	14 व 15
18	अनुसूची -12 विक्रय/सेवा से आय	16
19	अनुसूची -13 अनुदान/इमदाद	17
20	अनुसूची -14 शुल्क/चंदाशुल्क	18
21	अनुसूची -15 निवेश से आय	19
22	अनुसूची -16 रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय	20
23	अनुसूची -17 अर्जित ब्याज	21
24	अनुसूची -18 अन्य आय	22
25	अनुसूची -19 तैयार माल एवं कार्य प्रगति पर के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	23
26	अनुसूची -20 स्थापना व्यय	24
27	अनुसूची -21 अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि [आय व व्यय लेखा]	25
28	अनुसूची -22 अनुदान, इमदाद, आदि पर व्यय	26
29	अनुसूची -23 ब्याज	26
30	अनुसूची -24 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	27 व 28
31	अनुसूची -25 लेखा के रूप में टिप्पणी	29 व 30
32	31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष की समेकित प्राप्ति/व्यय एवं भुगतान	31 व 32

ख	अनुबंध	पृष्ठ संख्या
33	वर्ष 2018-19 के लिए बयाना जमा राशि/अवधान राशि जमा /प्रतिभूति धन जमा का ब्योरा (अनुबंध-I)	33
34	वर्ष 2018-19 हेतु आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम का शेष (अनुबंध -II)	34
35	देयताएँ- 31.03.2019 को यथाविद्यमान सांविधिक एवं अन्य शेष (अनुबंध -III)	35
36	31.03.2019 को यथाविद्यमान विविध देनदार/स्टॉक (अनुबंध-IV)	36
37	रोकड़ एवं बैंक शेष का ब्योरा (अनुबंध-V)	37
38	31.03.2019 को यथाविद्यमान ऋण एवं अग्रिम का ब्योरा (अनुबंध-VI)	38 व 39
39	31.03.2019 को यथाविद्यमान अन्य अभिकरणों में शेष ऋण (अनुबंध-VII)	40
40	31.03.2019 को यथाविद्यमान अग्रिम जमा का ब्योरा (अनुबंध- VIII)	41 व 42
41	31.03.2019 को यथा विद्यमान उद्दिष्ट निधि से प्रोद्भूत ब्याज (अनुबंध-IX)	43
42	31.03.2019 को यथा विद्यमान उद्दिष्ट निधि को छोड़कर अन्य से प्रोद्भूत ब्याज (अनुबंध-X)	44
43	31.03.2019 को यथाविद्यमान उद्दिष्ट निधि में से किए गए निवेश (अनुबंध-XI)	45
44	31.03.2019 को यथाविद्यमान उद्दिष्ट निधि के अलावा किए गए निवेश (अनुबंध-XII)	46
45	वर्ष 2018-19 के दौरान मंत्रालय द्वारा विमोचित सहायता अनुदान (अनुबंध-XIII)	47
46	वर्ष 2018-19 में परिक्रामी निधि से विक्रय व अर्जित ब्याज (अनुबंध-XIV)	48
47	31.03.2019 को यथा विद्यमान प्राप्य किराया (अनुबंध-XV)	49
48	अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि-प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा (अनुबंध-XVI)	50
49	उद्दिष्ट निधि से प्राप्त निधि-प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा (अनुबंध-XVII)	51
50	समेकित शीर्ष-वार व्यय विवरण (अनुबंध-XVIII)	52
51	31.03.2019 को यथा विद्यमान परिक्रामी निधि का शेष (अनुबंध-XIX)	53
52	31.03.2019 को यथा विद्यमान पूँजी निधि को दर्शाते विवरण (अनुबंध-XX ए)	54
53	वर्ष 2018-19 के लिए पूँजी निधि में किए गए योगदान के विवरण (अनुबंध-XX बी)	54
54	कमाबैं, चाईबासा का कार्यशील पूँजी तुलन-पत्र (अनुबंध-XXI)	55 से 58
55	मूकमाबैं, शिवसागर का तुलन-पत्र (कार्यशील पूँजी खाता) (अनुबंध-XXII)	59 से 62
56	2018-2019 का सामान्य भविष्य निधि खाता	63 से 65
57	2018-2019 का के रे बो कर्मचारी बीमा योजना खाता	66

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखा पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर के संलग्न तुलन-पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [सेवा के कार्य, अधिकार एवं शर्तों] के अधिनियम 1971 की धारा 19[2] एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड, अधिनियम, 1948 की धारा 12 में जैसे स्पष्ट है, के अंतर्गत की है। इन वित्तीय विवरणी में बोर्ड के 24 इकाईयों के लेखा शामिल है। ये विवरणी बोर्ड के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणी पर अपनी राय देना है।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण बेहतर लेखा व्यवहारों का अनुपालन, लेखा मानक तथा प्रकटन मानक आदि के अनुसार वर्गीकरण के संबंध में लेखाकरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी निहित है। कानून, नियम तथा विनियम [औचित्य तथा नियमितता] के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देने पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलू, यदि कोई हो तो, अलग से नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानक के अनुसार लेखा-परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत यह जरूरी है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना बनाये और लेखा-परीक्षा करें ताकि वित्तीय विवरणी अथार्थ विवरणियों से उचित आश्वासन मिले। लेखा-परीक्षा में परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में सबूत तथा प्रकटन हों, इसकी जांच करना शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखा सिद्धांत तथा महत्वपूर्ण आकलन का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय विवरणी में समग्र प्रस्तुती का विश्लेषण करना शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा अपनी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि

i. हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया है जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक था।

ii. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र तथा आय व व्यय लेखा प्राप्ति व भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उचित लेखा पुस्तक तथा अन्य संगत रिकार्ड का रखरखाव केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार किया है, जैसाकि इन पुस्तकों की जांच से लगता है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

परिसंपत्तियां

अचल संपत्तियां [अनुसूची 8]: रु. 324.50 करोड़

क 1 उपर्युक्त रु. 0.72 करोड़ अतिरिक्त बताया गया जो 9517.03 वर्ग मीटर ज़मीन के मूल्य सहित भवन के मूल्य रु. 0.01 करोड़ और रु. 0.70 करोड़ का है, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान बेंगलूर मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड [बीएमआरसीएल], बेंगलूर को स्थानांतरित किया गया। फलस्वरूप पूंजी निधि रु. 0.72 करोड़ अतिरिक्त बताया गया।

परिसंपत्तियां

चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि [अनुसूची 11] : ₹.170.78 करोड़

क 2 उपर्युक्त में ₹.9.21 करोड़ शामिल है जो केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु द्वारा बैंक में साख पत्र के प्रति जमा की गई राशि के प्रति है। इसे नकद और बैंक शेष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना था। इससे नकद और बैंक शेष कम और ऋण और अग्रिम अतिरिक्त दर्शित हो रहा है।

क 3 दिनांक 31.03.2019 को विद्यमान रेबीउके, रारेबीसं, धर्मपूरी इकाई में रोग मुक्त चकत्तों का अंतिम स्टॉक ₹.0.72 करोड़ [गुणवत्ता रोमुच की मात्रा 10,22,000 सहित] था। तथापि, इकाई ने रेबीउके, धर्मपूरी की अंतिम स्टॉक का लेखा-जोखा कर ₹.1.44 करोड़ [रोमुच मात्रा 20,44,000 की स्टॉक सहित] बताया है। इसके फलस्वरूप "चालू परिसंपत्तियों", ऋण, अग्रिम [अनुसूची 11] के अंतर्गत माल-रोमुच को ₹.0.72 करोड़ अतिरिक्त दर्शित हो रहा है।

व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि, [अनुसूची 21] : ₹.82.03 करोड़

ख.1 उपर्युक्त में ₹.11.64 करोड़ निहित है जो पिछले वर्षों के दौरान साख पत्र और अन्य अग्रिमों के लिए समायोजित किया गया था और जिसे संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में लिया गया जिसमें इस अनुदान आय के रूप में लिया गया। इसके फलस्वरूप ₹.11.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय और ₹.11.64 करोड़ का घाटा हुआ है। इससे व्यय का दोहराव एवं लेखा मानक 12 के प्रावधानों को अनुपालन नहीं होता है। जिससे कालक्रम में लाभ व हानि विवरण में क्रमवार आधार पर राजस्व अनुदान की पहचान निर्धारित होती है तथा जो पूरक (ए एस 12 का पैरा 15) के आशय से संगत लागत के मेल खाने के लिए आवश्यक है। आगे, व्यय के रूप में अग्रिम का लेखाकरण सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सहित समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग. अनुसूची 25 – लेखा के एक भाग के रूप में टिप्पणी

ग.1 उद्दिष्ट निधि [अनुसूची 3] के अन्तर्गत कुल निधि शेष ₹. 20.71 करोड़ है। तथापि, कुल उद्दिष्ट निधि नकद एवं बैंक शेष ₹. 6.61 करोड़ [लेखा का पृष्ठ 37] एवं निवेशित निधि ₹. 12.00 करोड़ [लेखा का पृष्ठ 45] है। अतः, परिसंपत्ति ₹. 18.61 करोड़ दर्शाई गयी। लेखा टिप्पणी में ₹. 2.10 करोड़ के अंतर का समाधान दर्शाया नहीं गया था।

घ. सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान द्वारा बोर्ड वित्त पोषित है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड को ₹.601.29 करोड़ की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई एवं ₹.2.59 करोड़ अभ्यर्पित किया। बोर्ड ने वर्ष के दौरान ₹.598.70 करोड़ की पूर्ण राशि का उपयोग किया।

ङ. प्रबंधन पत्र

कमियां, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई है, उनको सुधार/सही कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु के ध्यान में लाया गया है।

v. पिछले अनुच्छेदों में किए गए अवलोकनों के आधार पर सूचित किया जाता है कि तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा, प्राप्ति व भुगतान, लेखा पुस्तिका से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है जो विवरण हमें दिया गया है, उक्त वित्तीय विवरण सहित लेखा नीतियां और टिप्पणी और उपर्युक्त सूचित महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में सत्य व ठीक है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत है।

III

- क. अब तक यह 31 मार्च 2019 को विद्यमान केंद्रीय रेशम बोर्ड के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है : और
- ख. जहां तक घाटा संबंधी आय एवं व्यय लेखा का संबंध है, यह उस वर्ष समाप्त विहित तिथि को यथा विद्यमान है ।

कृते और भारत के
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

[एम.एस.सुब्रमण्यम]

महा निदेशक

महानिदेशक का कार्यालय, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एव

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड

हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 12 मार्च 2020

लेखा परीक्षा के लिए अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध में कुल 22 सदस्य कार्यरत हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा, संगठन के आकार और प्रकृति की दृष्टि से पर्याप्त और अनुरूप लगता है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

वित्तीय रिपोर्ट के लेखा परीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों को ध्यान में रखते हुए संगठन के आकार और प्रकृति की दृष्टि से बोर्ड में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और अनुरूप नहीं लगता है।

3. अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

केरेबो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सभी इकाईयों के संबंध में समय-समय पर अचल संपत्तियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष 2018-19 में पूरा किया गया और वर्ष 2018-19 का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2017-18 के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान अवलोकन की गई वार्षिक लेखा और अनुपयोगी स्टॉक की विसंगतियों का लेखाकरण नहीं किया गया। विसंगतियां निम्नलिखित अवलोकन की गई :

इकाई का नाम	अनुपयोगी स्टॉक के अनुसार मूल्य [रु.]	लेखा के अनुसार मूल्य [रु.]	अंतर [रु लाखों में]
केरेअवप्रसं, पाम्पोर, रावेबीसं, बेंगलूरु, क्षेका, नई दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई	161106863	162370479	12.64
रेजैअप्र, कोडती	58402751	59677459	12.75
केरेअवप्रसं, बहरमपुर		परिवर्तन रिपोर्ट किया गया [सही आंकड़े]	155.90
केरेअवप्रसं, मैसूर			53.49
		कुल	234.78

4. माल की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

प्रबंधन द्वारा माल का समय-समय पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है। तकनीकी टीम द्वारा रोमुच के अंतिम स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

बोर्ड के सभी सांविधिक देय राशि निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित की जाती है।

ह/-
[एम.एस. सुब्रमण्यम]
महा निदेशक

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बेंगलूरु-560068



केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु के वर्ष 2018-19 के लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखाकार की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

अचल

परिसंपत्ति (अनुसूची 8) : ₹.324.50 करोड़

क.1 केंद्रीय रेशम बोर्ड के पास उक्त कर्मचारी आवास का स्वामित्व था और इसे जून/जुलाई 2019 तक उपयोग करने के लिए रखा गया था, इसलिए, वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त कर्मचारी आवास की भूमि के मूल्य के साथ-साथ उक्त कर्मचारी आवासों के मूल्य को कम करना उचित होगा। अतः वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त भूमि और भवनों के मूल्य को कम करना ठीक होगा। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए भूमि और भवन शीर्ष के तहत अचल परिसंपत्ति और परिणामस्वरूप ₹.0.72 करोड़ पूंजीगत निधि की अत्युक्ति नहीं है।

तथापि, मेसर्स बेंगलूरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु को उक्त भूमि और भवन सौंपने की वास्तविक तारीख को हिसाब में लेते हुए भूमि और भवन के मूल्य को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बही खातों में 0.72 करोड़ रुपये तक के लिए आवश्यक प्रविष्टियां की जा चुकी हैं।

संपत्ति

चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि, (अनुसूची 11) : ₹.170.78 करोड़

क.2 सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों और स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित खातों के समान प्रारूप के अनुसार, साख पत्र से संबंधित राशि, कैश और बैंक शेष राशि का हिस्सा नहीं है। खातों के एकरूप प्रारूप की अनुसूची 11 बताती है कि 1. चालू खाते, 2. जमा खातों और 3. बचत खातों के शीर्ष में पड़ी शेष राशि, अंत शेष का हिस्सा है। उक्त अनुसूची में साख पत्र में पड़ा राशि नहीं मिली है।

लेखा के एकरूप प्रारूप में कहा गया है कि आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को दिए जाने वाले अग्रिमों को अग्रिम शीर्ष के तहत प्रविष्ट करना होगा। अतः, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अनुसूची-11 – चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि के उप प्रमुख अग्रिम के अंतर्गत साख पत्र की राशि को सही रीति से दर्शाया था और वार्षिक खातों में इस प्रकार की प्रस्तुति का निरंतर अनुसरण किया जा रहा है, जो पूर्व वर्षों में भी लेखा परीक्षा के परीक्षण में सही रहा।

अतः लेखा परीक्षा द्वारा बताए गए अनुसार नकद और बैंक शेष राशि के अंतर्गत ₹.9.21 करोड़ की न्यूनोक्ति और ऋण एवं अग्रिमों की अत्युक्ति नहीं है।

क.3 दिनांक 31.03.2019 को यथाविद्यमान रेबीउके, धर्मपुरी के अंतिम स्टॉक को गलती से दो बार ले लिया गया। लेखा परीक्षा द्वारा अवलोकन किए गए अनुसार वर्ष 2019-20 में रु.0.72 करोड़ के मूल्य के बराबर, अतिरिक्त स्टॉक के लिए संशोधन करते हुए प्रविष्टि की गई।

केंद्रीय रेशम बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित इकाई को एक पत्र पहले ही उचित निर्देशों के साथ रोमुच की प्रारंभिक मात्रा और अंतिम स्टॉक को सही रूप से हिसाब में लेते हुए उपयुक्त अनुदेश सहित पत्र जारी किया जा चुका ताकि भविष्य में ऐसी गलतियाँ न हों।

व्यय

अन्य प्रशासनिक व्यय आदि, (अनुसूची 21) : रु.82.03 करोड़

ख.1 सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं के लिए दिए गए अग्रिम को जिस वर्ष के दौरान उक्त राशि का भुगतान किया गया था, उस वर्ष के दौरान अग्रिम राशि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। जब-जब संबंधित वस्तुयें प्राप्त होती हैं और सेवाओं का लाभ उठाया जाता है तथा बिल की प्राप्ति पर खाते में इन अग्रिमों को सामान्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्शाते हुए खातों को समायोजित किया जाएगा। तदनुसार, केरेबो द्वारा प्राप्त बिलों के आधार पर प्राप्त वस्तुएं और सेवाओं के आधार पर 2018-19 के दौरान रु.11.64 करोड़ की अग्रिम राशि समायोजित की गई और राशि को संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया और इस प्रकार के राजस्व व्यय को आय और व्यय लेखा के माध्यम से ले जाया गया। उक्त कार्यप्रणाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार है और केरेबो निरंतर उसी का अनुसरण कर रहा है जो पूर्व वर्षों में भी लेखा परीक्षा के परीक्षण में भी सही रहा।

सूचित करना है कि केरेबो ने विगत वर्षों में व्यय के रूप में रु.11.64 करोड़ की राशि की राशि बुक नहीं की थी। उक्त राशियों को लंबित बकाया ऋण और अग्रिम दर्शाया गया जिसमें संबंधित वर्षों में साख पत्र भी शामिल था जो पूर्व वर्षों में भी लेखा परीक्षा के परीक्षण में सही रहा।

वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय के रूप में आय और व्यय खाते में राजस्व व्यय को ठीक ढंग से पहचानकर लेखाकरण मानक 12 के प्रावधानों के अनुसार व्यय के रूप में दर्शाया गया। पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त राशि संगत वर्ष में व्यय के रूप में नहीं ली गयी थी और इसे केवल अग्रिमों के रूप में दिखाया गया था जो लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित किया गया था।

ग. अनुसूची 25- लेखा के भाग पर टिप्पणी :

ग) अनुसूची 25 – लेखा के एक भाग के रूप में टिप्पणी

केरेबो ने पहले ही लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षण के दौरान उद्दिष्ट निधि के अन्तर्गत रु.2.10 करोड़ का समाधान विवरण प्रस्तुत और उत्तर प्रेषित करते समय भी इसे प्रस्तुत किया था। उक्त राशि में उद्दिष्ट निधि में से प्राप्त/दी गयी अचल सम्पत्ति, विविध देनदार तथा अग्रिम आदि, शामिल है। अतः, इसे लेखा के हिस्से के रूप में टिप्पणी दर्शाने का सवाल नहीं उठता।

घ) सहायता अनुदान

केरेबो ने वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त रु.601.29 करोड़ में से रु.568.70 करोड़ की सहायता अनुदान राशि का उपयोग किया और रु.2.59 करोड़ को अभ्यर्पित किया, तदनुसार मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध :

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

यह तथ्य कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड में विद्यमान आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली उपयुक्त संगठन के आकार एवं प्रकृति के अनुसार अनुरूप है, पुष्टि की जाती है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

केरेबो में पूरे वर्ष के दौरान पूर्व की तरह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संचालित है जैसा पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित था। केरेबो ने वर्ष 2018-19 के दौरान भी उसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार लाते हुए उसे जारी रखा है। वर्ष 2016-17 तक की लेखा परीक्षा ने बताया कि केरेबो में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त है। अतः, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संगठन के आकार एवं प्रकृति के अनुसार उपयुक्त एवं अनुरूप है। आगे, यह सूचित किया जाता है कि विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा निरंतर की जाती है।

3. अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

स्टॉक सत्यापन अधिकारी ने वस्तु स्टॉक रजिस्टर और खातों के अनुसार मूल्य के बीच के अंतर को पता किया। इस संबंध में, सूचित करना है कि इकाई के वार्षिक खातों के आंकड़ें, इकाई के वार्षिक खातों के आंकड़ें अनुपयोगी स्टॉक सामग्री रजिस्टर के मूल्य के अनुसार न दर्शाकर संबंधित केरेबो इकाइयों में अनुरक्षित परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार दर्शाए गए हैं। सभी केरेबो इकाइयों में, लेखा और परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार मूल्य से मेल किया गया है और कोई अंतर नहीं पाया गया।

स्टॉक सत्यापन अधिकारी [एसवीओ] द्वारा देखे गए अंतर के संबंध में सूचित किया जाता है कि इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित इकाइयों में अवलोकन किए गए अंतर राशि की पुष्टि करना आवश्यक हो जाता है। उक्त अंतर राशि की पुष्टि की प्रक्रिया जारी की जा चुकी है। संबंधित रजिस्ट्रों/खातों की बही की पुष्टि और अद्यतन प्राप्त करने के बाद आवश्यक प्रविष्टियां, यदि कोई हो, तो शीघ्र की जाएंगी।

वस्तु स्टॉक रजिस्टर में कुछ मद जैसे दीवार की घड़ी, बाग के औजार, ताले, पर्दे के कपड़े, तकिए, चादरें आदि, को रिकार्ड किया गया है जो परिसंपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि सभी वस्तु स्टॉक सामग्री को संपत्ति के रूप में नहीं समझा गया है, हालांकि सभी संपत्ति वस्तु स्टॉक सामग्री के रूप में हैं।

परिसंपत्ति रजिस्टर और लेखा विवरणों में मूल्य का सामंजस्य एक सतत प्रक्रिया है और उसी को वर्ष-दर-वर्ष नियमित रूप से लिया जा रहा है और यदि उन दोनों के बीच कोई अंतर देखा जाता है, तो तथ्यों को पूरी तरह से सत्यापित करने के बाद उन पर ध्यान दिया जाएगा और अंतर राशि की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित डीडीओ द्वारा सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

4. सम्पत्ति-सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

इस तथ्य की पुष्टि की जाती है।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

इस तथ्य की पुष्टि की जाती है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथाविद्यमान तुलनापत्र

[र लाख में]

	अनुसूची सं.	पिछला वर्ष	
		घातू वर्ष 2018 -19	2017 -18
समग्र/पूँजी निधि एवं देयताएँ			
समग्र [कार्पस]/पूँजी निधि	1	44264.46	44147.48
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष	2	0.00	0.00
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	2071.15	2261.33
जमानती ऋण एवं उधार	4	0.00	0.00
जमानती रहित एवं उधार	5	0.00	0.00
आस्थगित ऋण देयताएँ	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान	7	3192.68	2669.32
योग-क		49528.29	49078.13
अचिम [प्रोफार्म] लेखा	अनुबंध		
कमाबैं/चाईबासा	XXI	544.52	571.20
मूकमाबैं/शिवसागर	XXII	164.49	158.81
योग-ख		709.01	730.01
योग-ख [क+ख]		50237.30	49808.14

जारी ..2

1

:2:

[₹ लाख में]

	अनुसूची सं.	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
परिसंपत्तियाँ					
अचल परिसंपत्तियाँ	8	32450.12	32776.03		
निवेश-उद्दिष्ट निधि से	9	0.00	0.00		
निवेश-अन्य	10	0.00	0.00		
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	11	17078.17	16302.10		
विविध व्यय (बट्टे खाते अथवा समायोजित न किये की सीमा तक)		0.00	0.00		
योग-क		49528.29	49078.13		
प्रोफार्मा लेखा	अनुबंध				
कमाबैं/चाईबासा	XXI	544.52	571.20		
मूकमाबैं/शिवसागर	XXII	164.49	158.81		
योग-ख		709.01	730.01		
योग-ख [क+ख]		50237.30	49808.14		
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	अनुसूची				
आकास्मिक देयताएँ व लेखा पर रिपपणी	24				
	25				

ह/-
[धीरज कुमार]
उप निदेशक वित्त
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

ह/-
[सीए ए.मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

ह/-
(डॉ.नरेंद्र रेबेल्नी)
निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

ह/-
(आर.आर.ओबंडियार)
सदस्य सचिव
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष का आय व व्यय लेखा

विवरण	अनुसूची	[₹ लाख में]	
		चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
आय			
विकाय/सेवा से आय	12	3,559.77	2,992.40
भारत सरकार से अनुदान	13	58,629.00	52,140.68
शुल्क/चंदाशुल्क	14	-	-
निवेश से आय (निधि में स्थानांतरित उद्दिष्ट के निवेश से आय)	15	-	-
रायल्टी/प्रकाशन, आदि से आय	16	-	-
अर्जित व्याज	17	336.63	283.87
अन्य आय	18	7.64	11.28
तेधार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी एवं कार्य प्रगति पर	19	516.34	(243.01)
आस्थगित आय		1,121.39	1,115.90
		64,170.77	56,301.12
योग [क]			
व्यय			
स्थापना व्यय	20	50,186.06	39,181.21
अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	21	8,202.51	8,352.59
अनुदान, इमदाद, आदि पर व्यय	22	4,717.22	8,299.22
कार्यशील पूँजी ब्याज इमदाद पर व्याज	23	-	-
अवमूल्यन	8	1,121.39	1,115.90
		64,227.18	56,948.92
योग [ख]			
व्यय पर आय के अधिक होने पर शेष (क-ख)		-56.41	-647.80
विशेष प्रारक्षित में स्थानांतरण (प्रत्येक को स्पष्ट करें)			
सामान्य प्रारक्षित में/से स्थानांतरण		(24.86)	(14.66)
अवधि पूर्व मंटे			
समाप्त/पूँजी निधि में आने लिया गया अतिशेष/घाटा का शेष		-81.27	-662.46
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
लेखा पर दिप्पणी	25		

₹/-
[श्रीराम कुमार]
उप निदेशक (विा)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

₹/-
[श्रीधर यमोहरन]
संयुक्त निदेशक (विा)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

₹/-
(डी.नरेंद्र रेवेली)
निदेशक (विा)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

₹/-
(आर.आर.जी.बिद्यार)
सदस्य सचिव
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

[₹ लाख में]

अनुसूची 1 - समय [कार्पस]/पूँजी निधि : शेष पूँजी निधि जोड़ें : समय [कार्पस] निधि के प्रति योगदान जोड़ें/(घटायेँ): आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित शुद्ध आय/[व्यय] का शेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष
	2018-2019	2017-2018	2017-2018
	44345.73		44,809.94
	(81.27)		(662.46)
वर्ष के अंत में शेष	44,264.46	-	44,147.48

ह/-

[धीरज कुमार]

उप निदेशक [वित्त]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

ह/-

[सीए ए.मनोहरन]

संयुक्त निदेशक [वित्त]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

[र लाख में]

	चाबू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 2 - प्रारक्षित व अधिशेष :	2018-2019	2017-2018
1. पूँजी प्रारक्षित		
2. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित		
3. विशेष प्रारक्षित		
4. सामान्य प्रारक्षित		
कुल	0.00	0.00

ह/-

[धीरज कुमार]
उप निदेशक [वित्त]
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

ह/-

[सीए ए.मनोहरन]
संयुक्त निदेशक [वित्त]
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड - 560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

भाग I

अनुसूची - 3 उद्दिष्ट निधि - निधिवार विखंडन

क्रम सं.	विवरण	अथ शेष	जाड़			उपयोग				कुल योग	इति शेष 2018 - 19	इति शेष 2017 - 18
			जमा	निवेश पर ट्याज	कुल	पूजीगत व्यय		राजस्व व्यय				
						परिसंपत्ति	अन्य	कुल	शेहन			
4	5	6=3+4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=9+12	14=6-13	15	
1		3										
1	श्रीमक कल्याण निधि	5.10	0.70	0.41	6.21				1.08	1.08	5.13	5.10
2	इंडियन सिल्क	63.57	2.16	1.94	67.67				4.20	4.20	63.47	63.57
3	प्राशिक्षण निधि	27.06		0.50	27.56						27.56	27.06
4	पौजोडीएस रूड में स्वर्ण पदक	2.77		0.10	2.87						2.87	2.77
5	सेठ बलदेव शाह फ्यास	2.64		0.05	2.69				20.48	20.48	368.63	2.64
6	अ व वि निधि	350.03	25.22	13.86	389.11				2.10	2.10	-	0.05
7	निरीक्षण निधि	0.05	2.05		2.10				19.66	19.66	56.12	69.30
8	वरिष्ठारक	69.30	2.95	3.53	75.78				0.15	0.15	11.20	10.72
9	पौजोडीएस छात्रवृत्ति	10.72		0.63	11.35				0.97	0.97	-	0.97
10	अध्ययन दौरा	0.97			0.97						602.88	538.11
11	फार्म विकास निधि	538.11	31.41	33.36	602.88				150.25	150.25	156.05	99.81
12	प्राशिक्षण निधि, केरअवप्रस, मैसूर	99.81	201.94	4.55	306.30				0.40	0.40	29.26	25.14
13	प्राशिक्षण निधि, केरअवप्रस, बलरगपुर	25.14	3.13	1.39	29.66				0.10	0.10	24.78	22.03
14	प्राशिक्षण निधि - केरअवप्रस, बंगलूर	22.03	1.44	1.41	24.88						15.99	13.86
15	प्राशिक्षण निधि - केरअवप्रस, पान्यार	13.86	1.30	0.83	15.99						15.07	13.06
16	प्राशिक्षण निधि, कोडते	13.06	1.23	0.78	15.07				9.27	9.27	-	0.39
17	अ व विकास निधि, कोडते	0.39	8.88		9.27				0.58	0.58	40.10	36.75
18	प्राशिक्षण निधि, केरअवप्रस, रावा	36.75	3.37	0.56	40.68				209.24	209.24	1,421.80	1,281.36
	योग	1,281.36	285.78	63.90	1,631.04				209.24	209.24	1,421.80	1,281.36

ह/-
(शैलज कुमार)
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

ह/-
(सीए ए मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560068

[अनुसूची 3]

उद्दिष्ट निधि - निधिवार विखंडन

भाग II
[र. लाख में]

क्रम सं.	विवरण	अथ शेष	जमा	कुल	नाशे	इति शेष
1	जा अं स अ [जाइका]	0.10	-	0.10	-	0.10
2	उपक्षेपसंयो	159.66	303.84	463.50	433.86	29.64
3	पीउडी	0.28	-	0.28	-	0.28
4	एसएसजीएसवाई परियोजनाएं	11.10	0.36	11.46	-	11.46
5	बीज विकास निधि	25.61	2.75	28.36	-	28.36
6	ए कौ वि चो [आईएसडीएस]-के क	101.01	-	101.01	-	101.01
7	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	59.02	1.26	60.28	60.05	0.24
8	म कि स प [एमकेएसपी] अनुभवण निधि	35.42	9.11	44.53	6.96	37.57
9	बीआईआरएसी	-	56.70	144.08	48.22	95.86
10	जैव प्रौ वि [डीबीटी]-केअवप्रसं, मैसूर	87.38	-	0.02	-	0.02
11	सीएसआईआर निधि	0.02	-	0.60	-	0.60
12	रोमुच के लिए अग्रिम-चारेबीसं	0.60	-	0.14	-	0.14
13	अन्य से चारेबीसं को निधि	0.14	7.04	107.39	39.45	67.94
14	केतअवप्रसं, रांची - मुठ्यालय-डीबीटी	100.35	21.87	32.37	23.78	8.59
15	रेशमजैव तकनीकी प्रयोगशाला - डीबीटी	10.50	23.13	86.91	44.66	42.25
16	केमूअवप्रसं, लाहदोइगढ़-डीबीटी	63.78	9.06	33.80	10.72	23.07
17	केमूअवप्रसं, लाहदोइगढ़-डीएसटी	24.74	-	3.60	1.05	2.55
18	डीबीटी - केअवप्रसं पाम्पोर	3.60	-	-	-	-
19	केप्रीअसं-बैंगलूर-एमएसएमई	-	-	-	-	-
	उप कुल क	683.31	435.12	1,118.43	668.75	449.68
	राज्य सरकार/भारत सरकार/पजेन्सियां से निधि					
20	केतअवप्रसं रांची	136.58	95.87	232.46	124.08	108.38
21	केअवप्रसं, बहरमपुर	7.62	1.39	9.01	1.79	7.22
22	बुलरेबीसं बिलासपुर	2.12	-	2.12	2.12	-
23	केअवप्रसं पाम्पोर	-	1.56	1.56	1.56	-
24	चारेबीसं बैंगलूर	4.89	369.62	374.51	373.07	1.44
25	केप्रीअसं-बैंगलूर	10.62	161.00	171.63	159.45	12.18
26	क्षोका गुवाहाटी	54.93	80.69	135.61	147.84	(12.24)
27	क्षोका कोलकाता	-	-	-	-	-
28	गुरेबीसं गुवाहाटी	57.29	76.47	133.76	84.74	49.02
29	केन्द्रीय कार्यालय	15.59	-	15.59	13.30	2.29
30	केमूअवप्रसंस लाहदोइगढ़	7.02	27.00	34.02	2.64	31.38
	उप कुल ख	296.66	813.60	1,110.27	910.59	199.67
	योग क + ख	979.97	1,248.72	2,228.70	1,579.33	649.35

र/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560068

र/-
(सीए ए मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

		[रु लाख में]	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची.4- जमानती ऋण एवं उधार		2018-19	2017-18
1.	केन्द्र सरकार		
2.	राज्य सरकार (स्पष्ट करें)		
3.	वित्तीय संस्था क) सावधि ऋण ख) उपार्जित ब्याज तथा बाकी		
4.	बैंक क) सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)		
5.	अन्य संस्थाएं एवं एजन्सियां		
6.	डिबेन्चर तथा बांड		
7.	अन्य [स्पष्ट करें]- परिक्रामी निधि		
योग		0.00	0.00

ह/-
[धीरज कुमार]
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

ह/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

		[₹ लाख में]	
अनुसूची.5- जमानती ऋण एवं उधार	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	
1. केन्द्र सरकार - गुनिअ अनभ्यर्पित निधि			
2. राज्य सरकार (स्पष्ट करें)			
3. वित्तीय संस्था			
4. बैंक क) सावधि ऋण ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)			
5. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां			
6. डिबैन्चर तथा बांड			
7. सावधि जमा			
8. अन्य (स्पष्ट करें)			
योग	0.00	0.00	0.00

		[₹ लाख में]	
अनुसूची.6- जमानती ऋण एवं उधार	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18	
क) पूंजीगत उपकरण एवं अन्य परिसंपत्ति के मालबंधन से जमानती स्वीकृति			
ख) अन्य			
ग) आस्थगित देयताएं-शुद्ध नियत संपत्ति (अन. 8)			
योग	0.00	0.00	0.00

₹/-
[धीरज कुमार]
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

₹/-
[धीरज कुमार]
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

		[₹ लाख में]	
अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान :		चालू वर्ष 2018 -19	पिछला वर्ष 2017 -18
क.	वर्तमान देयताएं		
1.	प्रतिभूति जमा (अनुबंध - I)	81.42	82.19
2.	फुटकर लेनदार :		
	क) माल हेतु		
	ख) अन्य	204.27	123.15
3.	आपूर्ति हेतु प्राप्त अधिम का शेष [अनुबंध II]	419.02	434.17
उक.	परिक्रामी/बलती पंजी निधि का शेष [अनुबंध-XIX]		
4.	व्याज प्रोद्गत लेकिन देय नहीं :		
	क) जमानती ऋण/उधार		
	ख) अजमानती ऋण/उधार		
5.	सांविधिक देयताएं		
	क) अतिदेय	2.27	(21.96)
	ख) अन्य (अनुबंध III)		
6.	अन्य वर्तमान देयताएं -		
	क) अजमानती निधि (अनुबंध - III)	4.45	77.90
	ख) अन्य (अनुबंध - III)	183.29	1,973.87
	ग) बकाया व्यय	2,297.96	
	योग (क)	3,192.68	2,669.32
ख.	प्रावधान		
	1. कर हेतु		
	2. उपदान		
	3. अधिवर्षिता/पेंशन		
	4. संघित कुट्टी नकदीकरण		
	5. व्यापार वारंटी/दावा		
	6. अन्य (स्पष्ट करें)		
	योग (ख)		
	योग (क + ख)	3,192.68	2,669.32

[धीरज कुमार]
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

अनुसूची 8- अचल परिसंपत्तियों का विवरण	कुल ब्यौताक				अवमूल्यन				शुद्ध ब्लॉक	शुद्ध ब्लॉक
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यंकन	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत मूल्यंकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के लिए	मूल्य से समा. (-)/(+)	वर्ष के अंत तक कुल	वर्ष के अंत तक	वर्ष के अंत तक
1. भूमि	3,367.21	103.06		3,470.27	-		-		3,470.27	3,367.21
2. भवन व अन्य मूल कार्य	25,357.04	877.71	15.49	26,219.26	4,198.15	426.83	-3.79	4,621.19	21,598.07	21,158.89
3. औजार, संयंत्र व मशीनरी	8,334.40	215.73	144.02	8,406.11	4,220.17	397.03	-96.45	4,520.75	3,885.36	4,114.23
4. फर्नीचर व अन्य कार्यालय उपकरण	2,029.75	50.01	13.05	2,066.71	1,358.30	129.89	-5.39	1,482.80	583.91	671.45
4. (II) कंप्यूटर/प्रिंटर सहित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रकल्पक	1,087.17	43.72	22.62	1,108.27	926.02	59.33	-158.63	826.72	281.55	161.15
5. वाहन	1,256.03	49.07	24.67	1,280.43	987.27	47.60	-25.01	1,009.86	270.57	268.76
6. पुस्तकालय पुस्तक व वैज्ञानिक जर्नल	1,039.55	16.55	0.05	1,056.05	588.24	50.08	-0.01	638.31	417.74	451.31
7. पंखा व ज्वेलर	167.30	1.49	0.37	168.42	135.18	10.63	0.08	145.89	22.53	32.12
चालू वर्ष का योग	42,638.45	1,357.34	220.27	43,775.52	12,413.33	1,121.39	-289.20	13,245.52	30,530.00	30,225.12
कार्य प्रगति पर	2,550.91	220.20	850.99	1,920.12					1,920.12	2,550.91
कुल योग	45,189.36			45,695.64					32,450.12	32,776.03

टिप्पणी

टिप्पणी : 1. अवमूल्यन स्तंभ [सं.8] में समायोजन निपटाई गई परिसंपत्ति, आदि के कारण कम हुई अवमूल्यन राशि दर्शाती है।

₹/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (पशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

₹/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

[₹ लाख में]

	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अनुसूची.9 - उद्दिष्ट/स्थायी [एंडोमेंट] निधि से निवेश		
1. केन्द्र सरकार में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेन्चर तथा बांड		
5. सहायक एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
योग	-	

ह/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

ह/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

[रु. लाख में]	
अनुसूची. 10 - अन्य से निवेश	पिछला वर्ष
यात्रा वर्ष	2017 - 18
2018 - 19	-
1. केन्द्र सरकार में	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-
3. शेयर	-
4. डिबेन्चर तथा बांड	-
5. सहायक एवं संयुक्त उद्यम	-
6. अन्य (स्पष्ट किया जाना है)	-
योग	-

ह/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

ह/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूची

[रु लाख में]

	पिछला वर्ष	
	2018 - 19	2017 - 18
अनुसूची 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि :		
क. चालू परिसंपत्तियां	1,327.52	811.18
1. माल सूची : अंतिम स्टोक (अनुबंध IV)		
2. विविध देनदार :		
क) बकाया ऋण [अनुबंध - IV] 1.सरकार, विभागों के पास	586.05	596.76
12 माह से कम	527.90	587.08
12 माह से अधिक	1,113.95	1,183.84
उप-योग		
2. अन्य के पास	6.02	5.44
12 माह से कम	21.15	18.43
12 माह से अधिक	27.17	23.87
उप-योग	1,141.12	1,207.71
कुल विविध देनदार (1+2)	0.09	0.10
3. हाथ में रोकड़ बाकी [अग्रदाय]		
4. बैंक शेष :		
क) अनुसूचित बैंकों में : [अनुबंध - V]		
चालू खाता में	2,045.28	1,902.42
जमा खाता पर -उद्दिष्ट निधि [अनुबंध - XI]	1,199.67	1,129.41
जमा खाता पर - अन्य निधि [अनुबंध XII]	5,166.44	4,658.69
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों पास :		
ग) मार्गस्थ प्रेषण		
5. डाक घर-बचत खाता	10,880.12	9,709.51
योग (क)		

जारी 2

--: 2 :-

		[₹ लाख में]	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2018-19	2017-18
अनुसूची 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अभिम आदि :			
ख. ऋण, अभिम एवं अन्य परिसंपत्तियां			
1. ऋण :			
क) कर्मचारी [अनुबंध - VI]			
ख) कर्मचारी [अनुबंध - VII]			
2. नकद या अन्य प्रकार से या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अभिम तथा अन्य राशि			
क) पूंजीगत लेखा पर [अनुबंध -VIII]			
ख) पूर्वभगतान			
3. प्रोद्गत ब्याज :			
क) उद्दिष्ट निधि से निवेश पर [अनुबंध - IX]			
ख) निवेश पर-अन्य (अनुबंध X)			
ग) ऋण एवं अभिम पर			
घ) अन्य [अनुबंध - VII]			
[इसमें न वसूल की गई बाकी आय रु..... शामिल है]			
4. प्राप्य [अनुबंध XV]			
		योग (ख)	
		योग (क + ख)	
		6,198.05	6,592.58
		17,078.17	16,302.10

ह/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

ह/-
[सीए र मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

	[रू लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
अनुसूची 12 -विक्रय/सेवा से आय		
1) विक्रय से आय क) तैयार माल का विक्रय (अनुबंध XIV) ख) कच्चे माल का विक्रय ग) रद्दी माल का विक्रय	3,559.77	2,992.40
2) सेवा से आय क) श्रम एवं संसाधन प्रभार ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवा ग) अकरण अभिकरण आयोग एवं दलाली घ) रखरखाव सेवा (उपकरण/संपत्ति) ड) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	3,559.77	2,992.40

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 13- अनुदान/इमदाद	[₹ लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
[प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व इमदाद] 1) केन्द्र सरकार (अनुबंध XIII) [59869.70-1240.70] 2) राज्य सरकार [₹] 3) सरकारी अभिकरण 4) संस्था/कल्याणकारी निकाय 5) अंतरराष्ट्रीय संगठन 6) अन्य [स्पष्ट करें]	58,629.00	52,140.68
योग	58,629.00	52,140.68

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

	[₹ लाख में]	
	चाहू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
अनुसूची 14- शुल्क/चंदा शुल्क		
1) प्रवेश शुल्क		
2) वार्षिक शुल्क/चंदा शुल्क		
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4) परामर्श शुल्क		
5) अन्य [स्पष्ट करें]		
योग	0.00	0.00

₹/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

₹/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

	[र लाख में]	
	उद्दिष्ट निधि से निवेश	चालू वर्ष
	चालू वर्ष	2017-18
अनुसूची 15 -निवेश से आय	2018-19	2017-18
[निधि में स्थानांतरित उद्दिष्ट निधि से निवेश पर आय]		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर		
ख) अन्य बंध-पत्र/ऋण पत्र		
2) लाभांश :		
क) शेयर पर		
ख) आपसी निधि प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य [स्पष्ट करें] सावधि जमा	63.90	95.42
योग	63.90	95.42
उद्दिष्ट निधि में स्थानांतरित [अनुसूची - 3]	63.90	95.42

19

ह/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड

ह/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 16- रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य [स्पष्ट करें]		
योग	0.00	0.00

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 17- अर्जित व्यय	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
1) सावधि जमा पर क) अनुसूचित बैंक से (अनुबंध XIV) ख) गैर-अनुसूचित बैंक से ग) संस्था से घ) अन्य - ऋण एवं अन्य पर	296.49	263.53
2) बचत लेखा पर : क) अनुसूचित बैंक से ख) गैर-अनुसूचित बैंक से ग) डाक घर बचत लेखा घ) अन्य		
3) ऋण पर: क) कर्मचारी/स्टाफ ख) अन्य	40.14	20.34
4) देनदार एवं अन्य प्राप्त्य पर व्यय		
योग	336.63	283.87

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
अनुसूची 18- अन्य आय		
1) विक्रय पर लाभ/परिसंपत्ति के निपटान क) परिसंपत्ति का स्वामित्व ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त परिसंपत्ति		
2) बसूल की गई निर्यात प्रोत्साहन राशि	7.64	11.28
3) विविध सेवाओं हेतु शुल्क		
4) विविध आय-विराया		
योग	7.64	11.28

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

ह/-

[सीए ए मनोहरन्]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 19-तैयार माल एवं कार्य प्रगति के स्टॉक में वृद्धि/[कमी]	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
1) अंतिम स्टॉक क) तैयार माल ख) कार्य प्रगति पर	1,327.52	811.18
2) कम : प्रारंभिक स्टॉक क) तैयार माल ख) कार्य प्रगति पर	811.18	1,054.19
योग	516.34	(243.01)

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची 20-स्थापना व्यय	[र लाख में]	
	चाहू वर्ष 2018 - 19	पिछला वर्ष 2017 - 18
क) वेतन एवं मजदूरी	28,614.24	20,605.72
ख) भत्ता एवं बोनस	5,311.40	5,834.78
ग) भविष्य निधि में अंशदान	389.03	354.21
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	416.64	511.17
ङ) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	15,454.75	11,875.33
योग	50,186.06	39,181.21

ह/-

[धीरज कुमार]

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

ह/-

[सीए ए मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलूरु

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची.21 - अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	[र लाख में]	
	वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
क) क्रय : कच्चा माल	2,394.27	1,608.00
ख) क्रय : उपभोज्य भंडार	131.33	141.69
ग) विद्युत व शक्ति	428.95	406.35
घ) बीमा	32.69	33.23
ङ) मरम्मत व रखरखाव	1,006.40	1,152.66
च) किराया, दर व कर	157.50	202.23
छ) वाहन संचालन व रखरखाव	269.97	281.06
ज) डाक, दूरभाष व संचार प्रसार	82.17	101.27
झ) मुद्रण व लेखन-सामग्री	360.03	376.49
ञ) यात्रा और सवारी व्यय	1,281.71	1,019.90
ट) अंशदान व्यय/समाचार-पत्र	13.90	13.89
ठ) शुल्क पर व्यय	366.97	354.68
ड) लेखा-परीक्षा पारिश्रमिक	33.95	20.46
ढ) आतिथ्य व्यय	75.61	96.82
ण) व्यावसायिक प्रसार	359.15	351.16
त) विज्ञापन व प्रचार	69.11	76.86
थ) प्रदर्शन व विस्तार कार्यक्रम	1,006.20	1,200.13
द) बोर्ड बैठकों पर व्यय	11.08	-
ध) अन्य बैठकों पर व्यय	96.90	133.27
न) मजदूरी	-	725.38
प) अन्य विविध व्यय	24.62	57.06
योग (प्रा व मु खाते में दर्शायी गई राशि)	8,202.51	8,352.59

र/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूर

र/-
[सीएच एमकेएल]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर-560 068

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

[र लाख में]	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अनुसूची.22-अनुदान, इमदाद, आदि पर व्यय		
क) राज्यों के केन्द्रीय सेक्टर योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय (अनुबंध - XVIII)	4,614.22	8,124.22
ख) गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली के अंतर्गत निर्माचित निधि (अनुबंध XVIII)	103.00	175.00
ग) अ व वि योजना/बीज क्षेत्र योजना के अंतर्गत विमाचित निधि/ग्रांड (अनुबंध XVIII)		
योग (ख)	4,717.22	8,299.22

[र लाख में]	[र लाख में]	
	चालू वर्ष 2018-19	पिछला वर्ष 2017-18
अनुसूची.23-व्याज		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण पर (बैंक प्रकार सहित)		
ग) अन्य (स्पष्ट करें)		
योग	0.00	0.00

र/-
[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

र/-
[सीए ए मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068

वर्ष 2018 – 2019 का वार्षिक लेखा

I. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. स्थायी परिसंपत्तियां :

क. स्थायी परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत दर्शायी गयी है। परिसंपत्तियों के अर्जन में उपगत किए गए सभी प्रासंगिक व्यय भी परिसंपत्तियों के साथ जोड़े गए हैं।

ख. खर्च किए बिना अर्जित लगभग सभी परिसंपत्तियों के मूल्य को उपलब्ध विवरणों एवं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर मूल्यांकन किए गए हैं।

ग. स्थायी परिसंपत्तियों में मरम्मत न करने योग्य सामग्रियां शामिल हैं, जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

घ. सामान्य वित्तीय नियमावली में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार मरम्मत न करने योग्य स्थायी परिसंपत्तियों का निपटान कर तुलन-पत्र में अंकित मूल्य को समायोजित किया गया है।

2. अवमूल्यन :

परिसंपत्तियों का अवमूल्यन सरल तरीके से दिया गया है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के जोड़ पर अवमूल्यन यथानुपात आधार पर दिया गया है, अर्थात् 30 सितंबर को या उससे पहले के जोड़ के लिए पूरे वर्ष का अवमूल्यन किया जाता है और 1 अक्टूबर को या उसके बाद किए गए जोड़ के लिए अर्ध वार्षिक अवमूल्यन किया गया है। परिसंपत्तियों की लागत में से प्राक्कलित अवशिष्ट मूल्य घटाते हुए मूल्य ह्रास राशि की गणना की जाती है। अपनाए गए अवमूल्यन की दर इस प्रकार है: [1] भूमि-शून्य, [2] भवन एवं अन्य मूल कार्य-1.63 %, [3] उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी-4.75%, [4 (i)] फर्नीचर तथा अन्य कार्यालयीन उपकरण - 6.33 %, [4 (ii)] प्रिंटर सहित इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रकमण- 16.21%, [5] वाहन-9.50 %, [6] पंखे तथा जुड़नार - 6.33 % and [7] पुस्तकालय पुस्तकें - 4.75 %।

3. प्राप्ति व भुगतान लेखा :

वास्तविक प्रदत्त व्यय तथा प्राप्त प्राप्ति को प्राप्ति तथा भुगतान लेखा में लिया गया है।

4. ऋण व अग्रिम :

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी कर्मचारियों के ऋण तथा अग्रिम को लेखा बही में दर्शाया गया है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ :

सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने पर प्रविष्टि की जाती है।

6. आय व व्यय लेखा :

आय एवं व्यय लेखा को प्रोद्घवन के आधार पर तैयार किया जाता है।

7. वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर तैयार किया जाता है।

8. उद्दिष्ट निधि:

केरेबो में उद्दिष्ट निधियां हैं। उक्त निधियों में से निवेश किए गये हैं। उक्त निधियों के निवेश से अर्जित आय/ब्याज को सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सीधे संबंधित निधियों में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन उद्दिष्ट निधियों की बिक्री, आदि से प्रोद्भूत आय को सीधे उक्त निधियों में जमा किया जाता है, क्योंकि यह केरेबो की आय नहीं है।

9. प्रोफार्मा लेखा :

भारत सरकार ने कच्चा माल बैंक के प्रचालन के लिए भी विशिष्ट निधि मंजूर की है। उपर्युक्त विशिष्ट निधियों के वार्षिक लेखा विवरणों को अलग से केरेबो के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है जिसका परम्परागत और निरंतर अनुपालन किया जा रहा है।

10. अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन

इकाइयों में रोमुच के अंतिम स्टॉक के मूल्य का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य अथवा लागत मूल्य, जो भी कम हो, पर किया गया है।

अनुसंधान गतिविधियों के दौरान केरेबो एककों द्वारा तैयार किए गये अंतिम स्टॉक की मात्रा को लेखा टिप्पणी में अलग से प्रकट की गयी है।

11. बिक्री

जब सरभूत स्वामित्व, क्रेता को हस्तांतरित किया जाता है, तो बिक्री को मान्यता दी जाती है। बिक्री को आय तथा लागू छूट व भत्ते के बिना बताया गया है।

12. फुटकर देनदार :

फुटकर देनदारों में पूर्व वर्षों से संबंधित राशि शामिल है। बट्टे खाते संबंधी प्रस्तावों के ब्योरे को वस्त्र मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजा जाता है और इसे लेखा टिप्पणी के अधीन उल्लिखित किया जाता है। यदि विविध देनदारों से वसूली के अवसर की आशा नहीं है, मना किये गये हैं या विवादित हैं तो वार्षिक लेखा में तदनुसार अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण का प्रावधान बनाया जाता है।

13. कर्मचारी भविष्य निधि :

केरेबो के कुशल कर्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किया गया है और तदनुसार अंशदान का भुगतान किया जाता है।

14. पेंशन लाभ :

पेंशन अपेक्षाओं सहित सेवांत लाभों को बजट आकलन में शामिल किया गया है, जिन्हें मंत्रालय ने विचार कर मंजूर किया है और इन्हें सहायता अनुदान से वहन किया गया है।

ह/-

[धीरज कुमार]
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

ह/-

[सी.ए.मनोहरन]
संयुक्त निदेशक (वित्त)

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बैंगलूरु-560 068

वर्ष 2018- 2019 का वार्षिक लेखा

I. लेखा के एक भाग के रूप में टिप्पणी :

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक बोर्ड है। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बजट के माध्यम से सहायता अनुदान मंजूर करता है।
2. आकस्मिक देयताओं को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है :
क) 31.03.2018 को यथा विद्यमान केरेबो के स्थान पर बैंक द्वारा खोले गये साख-पत्र शून्य है।
ख) केरेबो के विरुद्ध 3 न्यायिक मुकदमें दायर किये गये हैं अर्थात्,
(1) केरेअवप्रसं, मैसूर हेतु अधिगृहीत भूमि के लिए जमीन खोने वालों ने उच्च/अतिरिक्त क्षतिपूर्ति मांगते हुए मुकदमा दायर किया है।
(2) स्टेट बैंक आफ इंडिया हिन्दूपुर ने स्वीकृत ऋण राशि की वसूली हेतु मेसर्स इंडियन सिल्क मिल के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है तथा केरेबो ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल नहीं है फिर भी इस दूसरी पार्टी का नाम दिया है।
(3) मेसर्स मेघदूत हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, मुंबई ने लघु वाद न्यायालय मुंबई द्वारा पूर्व में केरेबो अधिगृहीत भवन के पक्ष में, जिसे वर्तमान में खाली कर दिया गया है, क्षतिपूर्ति लाभ के दावे के प्रति केरेबो के पक्ष में पारित फैसले के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है।
(4) केरेबो वैज्ञानिकों ने माननीय कें.प्र.अ. [सीएटी], बैंगलूरु में लचीला सम्पूरक योजना [एफसीएस] को पूर्वव्याप्ति से लागू हेतु मांग करते हुए मामला दायर किया है और मामला अभी भी जारी है।
3. प्रबंधन के विचार में वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण तथा अग्रिम का मूल्य सामान्य व्यवसाय में मूल्य या वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर होता है।
4. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, योजनाओं के लिए विशिष्ट रूप से उल्लिखित प्राप्ति, जो प्रशिक्षण निधि, अ वि निधि, फार्म विकास निधि आदि के अंतर्गत रखे जाते हैं, को छोड़कर सभी विविध प्राप्ति को भारत सरकार को अभ्यर्पित कर देता है। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹. 78.63 करोड़ की विविध प्राप्ति की राशि भारत सरकार को अभ्यर्पित की गई जिसमें अर्जित राजस्व ₹. 9.74 करोड़ भी सम्मिलित है।
5. केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास 31.03.2019 को यथा विद्यमान कोई जमानती ऋण तथा गैर-जमानती ऋण नहीं है।
6. सा भ नि तथा नि यो वार्षिक लेखा को अलग से संलग्न किया गया है; क्योंकि ये कर्मचारियों की निधियां हैं और सहायता अनुदान से संबंधित नहीं हैं।
7. जहां भी समूह तैयार करने की पुनः आवश्यकता है उसे लिए विगत वर्ष किया गया है जिससे प्रकट करने में एकरूपता हो। 31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलन पत्र तथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय राशि के एक अभिन्न भाग के रूप में अनुसूची 1 से 25 लगाई गयी है।
8. अनुसूचियों में अधिक सूचना देने के लिए तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्ति व भुगतान लेखा में जहां कहीं आवश्यक हो, अनुबंध संलग्न हैं। वार्षिक लेखा के अनुबंध लेखा की टिप्पणी के भाग हैं।
9. लेखा नीतियों का सतत अनुपालन किया जा रहा है।
10. वार्षिक लेखा तैयार करते समय महालेखाकार द्वारा नए प्रपत्र समय-समय पर में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।
11. आय व व्यय लेखा में ₹.33.95 लाख की राशि लेखा-परीक्षा शुल्क शीर्ष के अंतर्गत बुक की गई है, जो पिछले वर्षों से संबंधित लेखा परीक्षा-शुल्क है, क्योंकि केरेबो के पास देय लेखा-परीक्षा शुल्क का विवरण नहीं है।
12. विगत वर्ष के दौरान लाभार्थियों को मशीनों की आपूर्ति हेतु निर्माताओं के नाम सीडीपी के अंतर्गत प्रारंभ की गई एल सी खाता में जमा ₹.0.65 करोड़ अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है जिसका निपटारा लंबित है।

13. अनुबंध-XIX-वार्षिक लेखा के परिक्रामी/चलती पूंजी निधि की शेष राशि में उल्लिखित अनुसार परिक्रामी पूंजी निधि में से लिए गये लेन-देन को आय और व्यय लेखा में से किया गया है क्योंकि ये केरेबो के नियमित अधिदेशित प्रचालन कार्य हैं। कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदत्त राशि को सतत उपयोग में लाया जा रहा है और उक्त अनुबंध में दिनांक 31.03.2019 को यथा विद्यमान इन निधियों की शेष राशि प्रदर्शित है।
14. वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी निधि के प्रति ₹. 3.49 करोड़ तक का योगदान किया गया है और उक्त राशि के विवरण, वार्षिक लेखा के अनुबंध-XX-ए में दर्शाए गए हैं।
15. केरेबो द्वारा निम्नलिखित ज़मीनों को पट्टे पर लिया गया है :
- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| I. क्षेत्राकै, अनंतपुर | - | 40.37 एकड़ |
| II. मूबीफा, धर्मपुरा | - | 20.00 एकड़ |
| III. केतअवप्रसं रांची | - | 345240 व. मी. |
16. 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग [के वे आ] की सिफारिशों पर पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को ₹ 6,520 लाख तक की बकाया की बकाया राशि देय है। साथ ही फार्म कार्मिक जिन्हें अस्थायी स्तर प्रदान किया गया है, को ₹.1448.00 लाख की राशि देय है। आज की तारीख को मंत्रालय से केरेबो कर्मचारियों को 7वें केवेआ के क्रम में देय बकाया राशि के संबंध में बजट प्रावधान की मंजूरी प्रकट नहीं हुई है।
17. बेंगलूर मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड [बीएमआरसीएल], बेंगलूर ने मेट्रो रेल के लिए केरेबो के 9517.03 वर्ग मीटर तक की ज़मीन का अर्जन किया है और दिनांक 13.08.2019 को 25 वर्ग मीटर के अतिरिक्त ज़मीन के अर्जन के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की है। मेसर्स बीएमआरसीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान 3845 वर्ग मीटर के आवासीय कर्मचारी आवास तथा 308 मीटर तक की चार दीवारी को गिरा दिया। गिराए गए आवास तथा चार दीवारी के लिए आवश्यक प्रविष्टियां वर्ष 2019-20 के दौरान पास किया जाएगा। मेसर्स बीएमआरसीएल को पहचाने गए स्थान पर 3845 वर्ग मीटर के मकान तथा 308 मीटर की चार दीवारी का पुनः निर्माण करना है।
18. मेसर्स केआईएडीबी, बेंगलूर जिन्होंने बीएमआरसीएल, बेंगलूर की तरफ से भूमि तथा मकान का अर्जन किया था, ने ₹.7.09 करोड़ की टीडीएस राशि काटने के बाद ₹.63.81 करोड़ की मुआवज़ा राशि का भुगतान किया और केरेबो नियमावली, 1955 के अनुसार यह राशि भारत सरकार को अभ्यर्पित की गई।
19. केरेअवप्रसं, मैसूर के भूमि नष्ट हुए व्यक्तियों को न्यायालय के आदेशों के अनुसार ₹.10.39 लाख अतिरिक्त मुआवज़ा देय है और इसका भुगतान अप्रैल 2019 के दौरान किया गया और तदनुसार इसका पूंजीकरण किया गया।
20. आयकर अधिनियम 1916, के अंतर्गत कोई कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि में आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आगे भारत के राजपत्र : असामान्य दिनांक 20.06.2019 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 45/2019 दिनांक 20.06.2019 के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए केरेबो को आयकर के भुगतान से छूट दिया गया है।
21. बुनियादी बीज फार्मों में रखे गए बफर स्टॉक का खपत न करने के कारण तथा दंगे के दौरान रेबीउके, रायगंज में बदमाशों द्वारा छीने गए ₹.14.46 लाख मूल्य के रोग मुक्त चकत्तों को बट्टे खाते में डालने के लिए मंत्रालय का अनुमोदन मांगते हुए केरेबो ने प्रस्ताव भेजा।
- 22.. केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यकलापों के दौरान 31.03.2019 को यथा विद्यमान तैयार उत्पादों के अंतिम स्टॉक हैं :
- (क) शहतूत कोसा - 974.543 कि ग्रा, एरी कोसा - 15.58 कि ग्रा & गैर-शहतूत कोसा -77.04 लाख ; (ख) शहतूत छिद्रित कोसा - 1082.821 कि ग्रा, छिद्रित कोसा - 45.10 कि ग्रा & गैर-शहतूत छिद्रित कोसा-29.31 लाख; (ग) रोमुच 488276 सं. (घ) कच्चा माल 438.276 कि ग्रा ; (ङ) रेशम वस्त्र -453.73 मि ट; (च) धागाकरण अपशिष्ट - 237.665 कि ग्रा; (छ) परीक्षित रेशम अपशिष्ट - 44.913 ; (ज) झीना मूगा कोसा-7005 सं.; (झ) स्पन रेशम सूत तसर - 15.145 कि ग्रा (झ) रेशम सूत (मूगा)-306.282 और (ट) स्पन रेशम एरी-8.25 कि.ग्रा।

ह/-

[धीरज कुमार]

उप निदेशक (वित्त)

ह/-

[सीए.ए.मनोहरन]

संयुक्त निदेशक (वित्त)

नोट : क्रम सं. 15,17 से 21 तक की बिंदुओं को लेखा परीक्षा द्वारा दिए गए सज़ावों के आधार पर शामिल किए गए हैं।

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय व व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

क्रम सं.	प्राप्तियां	[₹ लाख में]		क्रम सं.	व्यय	भुगतान	
		वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19	वर्ष 2017-18
I	अन्य क्षेत्र क) हथ में रोकड़ (अनुबंध V) ख) बैंक संचय 1) वार्षिक खाते में (अनुबंध V) 2) जमा खाते में 3) बचत खाता 4) आगामी भरण प्राप्त अंशदान	0.10 2124.07	0.10 3658.22	I	क) स्थापना व्यय ख) प्रशासनिक व्यय विभिन्न परिव्ययों की निधि के सापेक्ष किए गए भुगतान क) राज्यों के उत्प्रेषण विकास कार्यक्रम (अनुसूची 22) ख) अ व पि योजना/बीज क्षेत्र/गुणवत्ता प्रमाणित प्रणाली/मंड के अंतर्गत विक्रीचन (अनुसूची 22)	49370.15 4510.60	39241.35 4534.15
II	क) भारत सरकार से (अनुबंध XIII) ख) राज्य सरकार से	60129.00	54250.00	III	क) उचित/स्वाधीन निधि में से (अनुबंध XVII) ख) निजी निधि में से (निबंध-अन्य)	268.40	848.59
III	निबंध एवं अन्य से आय क) उचित/स्वाधीन निधि (अनुबंध XVII) ख) निजी निधि (अन्य निबंध)	292.16	734.89	IV	अचल परिसंपत्ति पर व्यय (अनुबंध - XVIII) क) अचल परिसंपत्ति की खरीदी अग्रिम जमा, आदि पर व्यय (अनुबंध XVIII) क) कर्मचारियों को वसूली योग्य अग्रिम ख) सिविल, दूरभाष, आदि हेतु अग्रिम जमा अधिशेष अति/भण की वापसी	402.87	507.41
IV	प्राप्त ब्याज क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अग्रिम, आदि.			IV (A)	अग्रिम जमा, आदि हेतु अग्रिम जमा	30.72 838.14	66.26 1601.61
V	उधार ले गई राशि			V	अधिशेष अति/भण की वापसी	259.30	
VI	अन्य आय (स्पष्ट करें)			VI	वित्त प्रसार (व्याज)		

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु

अनुबंध - I

वर्ष 2018-19 के लिए बयाना जमा राशि/अवधान राशि जमा/प्रतिभूति धन जमा का ब्योरा

[₹. लाख में]

क्रम सं. NO.	लेखा इकाई का नाम	01.04.2018 को अधशेष	2018-19 के दौरान प्राप्तियां	2018-19 के दौरान भुगतान	31.3.2019 को अंत शेष
1	बोर्ड सचिवालय	10.58	27.43	25.65	12.36
2	क्षेका, गुवाहाटी	0.00	0.00	0.00	0.00
3	क्षेका, कोलकाता	0.95	1.06	1.16	0.85
4	केरेअवप्रसं, मैसूरु	5.29	13.63	15.33	3.59
5	केरेअवप्रसं, बरहमपुर	13.57	3.94	10.25	7.26
6	केतअवप्रसं, रांची	1.50	8.79	7.02	3.27
7	बुतरेबीसं, बिलासपुर	1.45	2.23	2.69	0.99
8	केरेप्रौअसं, बेंगलूरु	12.45	19.43	14.30	17.58
9	रारेबीसं, बेंगलूरु	29.42	50.07	50.27	29.22
10	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	0.00	0.09	0.08	0.01
11	केम्पअवप्रसं, जोरहाट	1.67	9.70	7.25	4.12
12	केरेजसंके, होसूरु	1.32	0.03	0.10	1.25
13	रेजेप्रौप्रं, बेंगलूरु	1.54	0.07	1.61	0.00
14	मूरेबीसं, गुवाहाटी	2.45	2.13	3.66	0.92
15	रारेबीसं, परिक्रामी निधि	0.00	19.38	19.38	0.00
	योग	82.19	157.98	158.75	81.42

ह/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068.

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560068

अनुबंध II

31.03.2019 को विद्यमान आपूर्ति के लिए प्राप्त अग्रिम का शेष

क्रम सं	विवरण	अग्रशेष	जमा	कुल	नामे	[र. लाख में]
						अंत शेष
1	क्षोका, कोलकाता	0.00	1.32	1.32	1.32	0.00
2	केरअवप्रसं, मैसूरु	0.35	4.58	4.93	4.82	0.11
3	बुतरेबीसं, बिलासपुर	11.37	37.73	49.11	41.13	7.97
4	रारेबीसं, बैंगलूरु	16.44	1.16	17.60	1.16	16.44
5	रारेबीसं-परिक्रामी निधि	94.08	1014.65	1108.73	930.06	178.67
6	मूरेबीसं, गुवाहाटी	0.91	15.55	16.45	15.38	1.08
7	केरअवप्रसं, पाम्पोर	0.00	15.24	15.24	15.24	0.00
	योग	123.15	1090.23	1213.38	1009.11	204.27

ह/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बैंगलूर-560 068.

35
[अनुबंध- III]

देयताएं 31.3.2019 को यथा विद्यमान अन्य देयताओं को दर्शाते विवरण

[₹. लाख में]

क्रम सं.	इकाई का नाम	वेतन कटौती	वितरण हेतु प्राप्त राशि नियमित	अन्यपि वित. आरटीएस	सब्सिडी/पे.पि.
1	बोर्ड सचिवालय		3.17		2.27
2	क्षेका, कोलकाता	0.09	0.00		
3	क्षेका, गुवाहाटी		7.88	0.06	
4	केरेअवप्रसं, मैसूरु		5.30		
5	केरेअवप्रसं, बरहमपुर	0.03	41.98		
6	केतअवप्रसं, रांची		18.65		
7	केरेअवप्रसं, पाम्पोर		0.32		
8	केरेप्रौअसं, बैंगलूरु		6.16	0.03	
9	रारेबीसं, बैंगलूरु	-	21.29		
10	बुतरेबीसं, बिलासपुर	0.07	72.07	4.36	
12	रारेबीस, बैंगलूरु (का पू)	-	1.77		
13	मुरेबीसं, गुवाहाटी		4.51		
	योग	0.19	183.10	4.45	2.27

नोट: उपरोक्त वितरण हेतु प्राप्त राशि में कर्मचारियों को देय वेतन, कर्मचारियों को देय सामानि/सब्सिडीयो, प्रशिक्षण आयोजित करने से विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त राशि शामिल है।

ह/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बैंगलूर-560 068

[अनुबंध - IV]

31.03.2019 को यथाविद्यमान विविध देनदार/स्टॉक

[र. लाख में]

क्रम सं.	इकाई का नाम	राशि
1	केरेअवप्रसं, मैसूर	11.94
2	केतअवप्रसं, रांची	2.10
3	केरेअवप्रसं, बैंगलूर	0.49
4	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	1.02
5	केमूअवप्रसं, लाहदोईगढ़	7.08
6	मूरेबीसं, गुवाहाटी	55.24
7	बुतरेबीसं, बिलासपुर	74.32
8	रारेबीसं, बैंगलूर	-
a	रोमुबीच (रेबीउके)	888.52
b	रोमुच (फार्म)	29.27
c	शहलूत कलर्म	1.82
d	शहलूत पौधे	4.27
e	कोसा	2.76
f	रेबीप्रीप्र, कोडती	0.01
9	एरी, रेबीउके	50.53
10	मूगा, रेबीउके, कालियाबाड़ी	11.75
	योग	1,141.12
	बाकी स्टॉक	
1	एरी कमाबें, हैदराबाद	0.37
2	रारेबीसं, बैंगलूर	1,327.15
	योग	1,327.52

ह/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560068

ह/-
(सीए ए.मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु - 560 068

अनुबंध - V

रोकड़ एवं बैंक शेष का ब्यौरा

[₹. लाख में]

क्रम सं	विवरण	31.03.2018 को यथा विद्यमान	31.03.2019 को यथा विद्यमान
1	स्थायी अग्रिम (अग्रदाय)	0.10	0.09
2	वेतन कटौती	0.03	0.19
3	प्रत्यर्पणीय जमा	82.19	81.42
4	परिक्रामी/कार्यशील पूँजी	654.35	911.23
5	संवितरण हेतु प्राप्त राशि	77.87	183.10
6	उद्दिष्ट निधि भाग-I	63.12	86.87
7	उद्दिष्ट निधि भाग II	901.71	573.75
8	अन्य (आपति हेतु अग्रिम)	123.15	204.27
9	अनभ्यर्पित निधि	-	4.45
	योग - I	1,902.52	2,045.37
	व्यापार निधि		
9	मूगा कच्चा माल बैंक, शिवसागर	6.60	8.20
10	कच्चा माल बैंक, चाईबासा	215.05	71.53
	योग - II	221.65	79.73
	कुल योग (I + II)	2,124.17	2,125.10

ह/-

(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

ह./-

(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

[अनुबंध - VI]									
केंद्रीय रक्षक बॉक्स, बंगलूरु - 560 068									
31-03-2019 को यथा विद्यमान ऋण व अग्रिम का ब्यौरा									
क्रम सं	लेखाकरण इकाई का नाम	मौ. अ	का.अ.	त्योहार अग्रिम	कम्प्यूटर अग्रिम	अन्य अग्रिम	टीए/टीएच/लडीसी अग्रिम	विभागीय/ आकस्मिक अग्रिम	31.03.2019 को यथा विद्यमान अंत शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बॉक्स, सचिवालय	0.41			8.25		0.69		9.35
2	क्षेका, नई दिल्ली								0.00
3	क्षेका, कोलकाता								0.00
4	क्षेका, जम्मू								0.00
5	क्षेका, मुंबई								0.00
6	क्षेका, चेन्नई								0.00
7	क्षेका, हैदराबाद								0.00
8	क्षेका, भुवनेश्वर								0.00
9	क्षेका, गुवाहाटी				0.54				0.54
10	क्षेका, लखनऊ								0.00
11	कमाई, चाईगासा								0.00
12	नुरेबीसं, शिवसागर								0.00
13	प्रके, बाराणसी								0.00

क्रम सं.	लेखाकरण इकाई का नाम	मो. अ	का.अ.	त्योहार अग्रिम	कम्प्यूटर अग्रिम	अन्य अग्रिम	डीए/डीए/एस्टीओ अग्रिम	वित्तीय/आकस्मिक अग्रिम	₹ लाख में	
									31.03.2019 को यथा विद्यमान अंत शेष	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	केरलप्रसं. मैसूर	1.76			14.97		0.72	0.23	17.68	
15	केरलप्रसं. बरगमपुर	0.08		0.03	5.23	0.62	0.71	0.53	7.20	
16	केरलप्रसं. रांची			0.01	1.07		3.95	1.07	6.10	
17	पुनर्वासं. बिलासपुर	0.20		0.17	1.19				1.56	
18	राजेशंसं. बंगलूर	0.37	0.03	0.22	14.56			0.08	15.26	
19	केरलप्रसं. बंगलूर	0.29		0.04	8.31		0.28	8.09	17.01	
20	केरलप्रसं. पाम्पोर	0.01	0.03	0.10	0.38		1.10	1.12	2.74	
21	केरलप्रसं. लाहदाईगाड	0.07	0.09	0.49	10.35				11.00	
22	केरलप्रसं. होसूर	0.23			0.13				0.36	
23	रेबीप्रसं. कोट्टी				0.10				0.10	
24	पुनर्वासं. गुवाहाटी	0.59	0.03	0.22	7.84			10.12	18.80	
25	एसी रेबीउके (होसूर)								-	
	कुल योग	4.01	0.18	1.28	72.92	0.62	7.45	21.24	107.70	

₹.-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निर्देशक (विन)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूर-560 068.

₹.-
(धाराज कुमार)
संयुक्त निर्देशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूर-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बेंगलूरु-560 068

[अनुबंध VII]

31.03.2019 को यथाविद्यमान अन्य अभिकरणों को ऋण

[₹. लाख में]

क्रम सं.	अभिकरण का नाम	उद्देश्य	राशि
1	निदेशक, रेशम उत्पादन, आंध्र प्रदेश सरकार	कार्यशील पूँजीगत ऋण	20.00
2	एरी रेबीउके	कार्यशील पूँजीगत ऋण	2.00
	योग-I		22.00
4	प्रोद्भूत ब्याज		124.47
	कुल-II		124.47
	कुल योग (I + II)		146.47

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रथम बोर्ड, बंगलूर- 560 068
31.03.2019 को यथाविद्यमान अंतिम जमा का ब्यौरा

[अनुबंध -VIII]

क्रम सं	सेवा इकाई का नाम	केलेनीधि/राईट्स राज्य लीनिधि, आदि	दरमाह/ टैलेस	विद्यत	किराया	अन्य विविध जमा	कमानि अंशदान अंतिम	सम्बन्धीयो अंतिम	अंतिम कार्यशील पूंजी	पारिभाषिक पैमान अंशदान	[₹ लाख में]	
											31 - 03 - 2019 को यथा विद्यमान अंत शेष	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	बोर्ड मुख्यालय	365.71	3.66	5.05	0.32	91.86		0.52		26.36	493.48	
2	क्षेका, नई दिल्ली		0.08	0.60	4.20	0.20					5.08	
3	क्षेका, कोलकाता	34.85	0.47	0.80	0.01	0.13		0.01			36.27	
4	क्षेका, जम्मू										-	
5	क्षेका, मुंबई			0.34		1.41					1.75	
6	क्षेका, चेन्नई										-	
7	क्षेका, हैदराबाद		0.03			0.05					0.08	
8	क्षेका, भुवनेश्वर		0.06	0.06		2.38					2.50	
9	क्षेका, गुवासाटी	35.82									35.82	
10	क्षेका, लखनऊ		0.01			0.01					0.02	
11	कमाई, चाईबासा										-	
12	मुरौसं, शिवसागर										-	
13	प्रके, वाराणसी										-	

क्रम सं	लेखा इकाई का नाम	केलानीधि/वार्ड्स राज्य लोनिधि, आदि	दूरभाष/ टेलिक्स	विद्युत	किराया	अन्य विविध जमा	कमानि अंशदान अयिम	साबसेसो अयिम	अयिम कार्यशील पौली	[₹ लाख में]	
										31 - 03 - 2019 को यथा विद्यमान अंत शेष	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	केरअवपसं, मैसूर	17.03	1.88	18.27	0.10	58.46		0.01		95.75	
15	केरअवपसं, बरहमपुर	274.23	0.72	13.13		7.71				295.79	
16	केरअवपसं, रांची	18.80	1.00	6.11	0.06	5.86		0.08		31.91	
17	दुलरेबीसं, बिलासपुर	208.98	0.35	0.38	0.03	21.13				230.87	
18	रापेबीसं, बैंगलूर	1,314.58	1.33	48.82	0.11	3.01		0.01	11.68	1,379.54	
19	केरप्रौअसं, बैंगलूर	66.25	0.44	5.57		1,575.30				1,647.56	
20	केरअवपसं, पाम्पोर	206.55	0.68	5.40		7.73				220.36	
21	केरअवपसं, लाहोईगड	33.15	0.12	5.45		18.87				57.59	
22	केरअवपसं, हैसूर	55.18	0.06	2.58		0.86				58.68	
23	रेबीप्रौअ, कोडली	62.02	0.01			0.10				62.13	
24	गुरेबीसं, गुवास्टी	850.96	0.25	11.92	0.56	1.24				864.93	
25	रापेबीसं/गुरा रेबीअके								1.20	1.20	
26	एकमासं, हैदराबाद								5.00	5.00	
	कुल योग	3,544.11	11.15	124.48	5.39	1,796.31	-	0.63	17.88	5,526.31	

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बैंगलूर-560 068.

31.03.2019 को यथा विद्यमान उद्दिष्ट निधि से प्रोदभूत व्यय

(अनुबंध -IX)

[₹. लाख में]

चा. वर्ष
2018 - 2019

क्रम सं.	इकाई का नाम	विवरण	
1	केन्द्रीय कार्यालय, बैंगलूर	स्वर्ण पदक श्रमिक कल्याण निधि छात्रवृत्ति इंडियन सिल्क अनुसंधान व विकास निधि प्रशिक्षण निधि सेठ बलदेव शाह (रे स्ना डि)	0.19 0.41 0.35 1.27 30.36 1.47 0.07
2	केरेअवप्रसं, मैसूरु	प्रशिक्षण निधि फार्म विकास निधि	1.48 33.36
3	रारेबीसं, बैंगलूरु	प्रशिक्षण निधि	0.50
4	केरेअवप्रसं, बरहमपुर	प्रशिक्षण निधि	2.04
5	केरेप्रौअसं, बैंगलूरु	प्रशिक्षण निधि प्रशिक्षण निधि	1.47
6	केतअवप्रसं, रांची	प्रशिक्षण निधि	0.56
7	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	प्रशिक्षण निधि	0.04
		योग :	73.57

ह/-
(पीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

ह/-
(सी. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068.

31.03.2018 को यथा विद्यमान उद्दिष्ट निधि में से प्रोदभूत ब्याज

(अनुबंध -X)

[₹. लाख में]

क्रम सं.	इकाई का नाम	विवरण	चालू वर्ष 2018 - 2019
1	केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु	पी3डी एरी कमाबें	0.02 13.29
2	रारेबीसं, बेंगलूरु	कार्यशील पूँजी निधि	237.39
3	मूगा रेबीउके, गुवाहाटी	कार्यशील पूँजी निधि	0.01
		कुल:	250.71

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बैंगलूरु-560 068.

31.3.2019 को यथा वियमान उद्दिष्ट निधि में से किए गए निवेश

(अनुबंध -XI)

[₹. लाख म]

क्रम सं.	इकाई का नाम	विवरण	चालू वर्ष 2018 - 2019
	उद्दिष्ट निधि		
1]	केन्द्रीय कार्यालय, बैंगलूरु	स्वर्ण पदक श्रमिक कल्याण निधि छात्रवृत्ति इंडियन सिल्क अनुसंधान व विकास निधि प्रशिक्षण निधि सेठ बलदेव शाह (रे स्ना डि) वरेबासंक	2.65 6.33 11.00 33.58 326.45 17.00 2.63 55.96
2]	केरेअवप्रसं, मैसूरु	प्रशिक्षण निधि फार्म विकास निधि	96.70 543.08
3]	रारेबीसं, बैंगलूरु	प्रशिक्षण निधि	14.57
4]	केरेअवप्रसं, बरहमपुर	प्रशिक्षण निधि	20.90
5]	केरेप्रौअसं, बैंगलूरु	प्रशिक्षण निधि	21.97
6]	केतअवप्रसं, रांची	प्रशिक्षण निधि	30.90
7]	केरेअवप्रसं, पाम्पोर	प्रशिक्षण निधि	15.95
		योग-उद्दिष्ट निधि	1,199.67

ह./-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

ह./-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बेंगलूरु-560 068.

31.3.2019 को यथा विद्यमान उद्दिष्ट निधि के अलावा किए गए निवेश

(अनुबंध-XII)

क्रम सं	इकाई का नाम	विवरण	[₹. लाख में]
			चालू वर्ष 2018 - 2019
1]	केन्द्रीय, कार्यालय, बेंगलूरु	पीउडी	0.26
		एरी कमाबें	147.09
2)	रारेबीसं, बेंगलूरु	कार्यशील पूँजी निधि	5,015.09
4)	मूगा रेबीउके, गुवाहाटी	कार्यशील पूँजी निधि	4.00
योग -अन्य			5,166.44

ह./-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068.

ह./-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलूरु - 560 068
2018 - 19 के दौरान मंत्रालय द्वारा विमोचित सहायता अनुदान

[₹.लाख में]

सहायता अनुदान निर्माचित करने की तारीख	गैर योजना	योजना	कुल योग
सं.25014/2/2018-रेशम(एस) (1) दिनांक 06.04.2018	7590.00		7590.00
सं.25014/2/2018-रेशम(जी) (1) दिनांक 24.04.2018		1450.00	1450.00
सं.25014/2/2018-रेशम(सी) (1) दिनांक 24.04.2018		200.00	200.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीजी) (1) दिनांक 24.04.2018		625.00	625.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीएस) (1) दिनांक 06.04.2018	775.00		775.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीजी) (1) दिनांक 24.04.2018		375.00	375.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीएस) (1) दिनांक 06.04.2018	375.00		375.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईजी)(1) दिनांक 08.05.2018		154.00	154.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईसी)(1) दिनांक 08.05.2018		175.00	175.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एसएनई)(1) दिनांक 13.04.2018	775.00		775.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईटीजी)(1) दिनांक 30.05.2018		21.00	21.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एस)(2) दिनांक 22.06.2018	2429.00		2429.00
सं.25014/2/2018-रेशम(जी)(2) दिनांक 07.08.2018		1450.00	1450.00
सं.25014/2/2018-रेशम(सी)(2) दिनांक 07.08.2018		200.00	200.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीजी) (2) दिनांक 21.08.2018		1875.00	1875.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीएस) (2) दिनांक 22.06.2018	248.00		248.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीजी)(2) दिनांक 21.08.2018		1125.00	1125.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीएस)(2) दिनांक 22.06.2018	120.00		120.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईजी) (2) दिनांक 27.08.2018		154.00	154.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एसएनई) (2) दिनांक 29.06.2018	248.00		248.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईसी) (1) दिनांक 21.01.2019		525.00	525.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईटीजी) (2) दिनांक 18.09.2018		63.00	63.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एस) (3) दिनांक 18.07.2018	7590.00		7590.00
सं.25014/2/2018-रेशम(जी) (3) दिनांक 17.09.2018		1450.00	1450.00
सं.25014/2/2018-रेशम(सी) (3) दिनांक 21.12.2018		400.00	400.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीएस) (3) दिनांक 18.07.2018	775.00		775.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीएस) (3) दिनांक 18.07.2018	375.00		375.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एनईजी) (3) दिनांक 14.02.2019		308.00	308.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एसएनई) (3) दिनांक 27.08.2018	775.00		775.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एस) (4) दिनांक 17.09.2018	10312.00		10312.00
सं.25014/2/2018-रेशम(जी) (4) दिनांक 21.12.2018		1450.00	1450.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीएस) (4) दिनांक 17.09.2018	682.00		682.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीएस) (4) दिनांक 17.09.2018	330.00		330.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एसएनई) (4) दिनांक 21.01.2019	1302.00		1302.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एस) (5) दिनांक 21.12.2018	2440.00		2440.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एससीएस) (5) दिनांक 21.12.2018	620.00		620.00
सं.25014/2/2018-रेशम(टीएस) (5) दिनांक 21.12.2018	300.00		300.00
सं.25014/2/2018-रेशम(एस) (6) दिनांक 26.02.2018	10068.00		10068.00
योग	48129.00	12000.00	60129.00

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

ह/-
(सी.ए. मनीहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूर - 560 068

वर्ष 2018-19 में परिक्रामी निधि में से विक्रय व अर्जित ब्याज

[अनुबंध - XIV]

[₹. लाख में]			
क्रम सं.	इकाई का नाम	विक्रय	अर्जित ब्याज
1	मूगा रेबीउके, कालियाबाड़ी	15.27	0.18
2	एरी रेबीउके, ग्वाहाटी	47.25	0.00
3	एरी क मा बै, हैदराबाद	0.00	9.97
4	मैसूर, विजेता	0.38	-
5	सारेबीसं, का पू निधि बेंगलूर	3439.28	286.34
6	केतअवप्रसं, रांची	1.30	0.00
7	बूतरेबीसं, बिलासपुर	35.43	
8	मूरेबीसं, ग्वाहाटी	7.30	
9	सारेबीसं, बेंगलूर	10.70	
10	केमएअवप्रसं, लाहदोईगढ़	2.59	
11	केरअवप्रसं पाम्पोर	0.29	
	योग	3,559.77	296.49

ई/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

ई/-
(सीए. ए. जगोहरवा)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु - 560 068

31.3.2019 को यथा विद्यमान प्राप्य

[अनुबंध - XV]

[र. लाख में]

क्रम सं	इकाई का नाम	चालू वर्ष 2018 - 2019
क	बोर्ड सचिवालय	0.56
ख	केतअवप्रसं, रांची	7.98
ग	क्षेका, मुंबई	8.55
घ	रारेबीसं, बेंगलूरु	4.68
ङ	क्षेका गुवाहाटी	71.52
	योग	93.29

ह./-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068.

अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि
वर्ष 2018-2019 में प्राप्तियाँ व भुगतान

क्र.सं.	निधि का नाम	[₹.लाख में]	
		प्राप्तियाँ	भुगतान
1	बोर्ड सचिवालय		
	एसएसजीवाईएस परियोजनाएँ	0.36	0.00
2	जाइका	0.00	0.00
3	बीज विकास निधि	2.76	0.00
4	सा ब स बी यो दावे	127.04	127.97
5	परिभाषित पेंशन अंशदान	383.13	384.60
6	ए को वि यो	0.00	0.00
7	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	10.36	67.00
8	उपक्षेपसंयो	303.84	433.86
9	पेंशनभोगी पहचान-पत्र	0.38	0.11
10	रे उ मे स्ना डि पा हेतु स्वयं पदक	0.00	0.00
	योग - I	827.87	1,013.54
11	केरलअवप्रसं, मैसूर		
	डीबीटी	57.18	48.21
	योग - II	57.18	48.21
12	केरलअवप्रसं, रांची		
	डीबीटी [मुख्यालय]	7.04	39.45
	योग - III	7.04	39.45
13	केरलअवप्रसं, पाम्पोर		
	डीबीटी	0.00	1.05
	योग - IV	0.00	1.05
14	रारेबीस, बैंगलूर		
	रोमच के लिए अग्रिम	0.00	0.00
15	अन्य निधि	0.17	0.17
		0.00	0.00
	योग - V	0.17	0.17
16	रेशम जैव प्रौ प्रयोगशाला, बैंगलूर		
	डीबीटी निधि	26.58	28.49
	योग - V	26.58	28.49
17	केमएअवप्रसं, लाहदोडेगढ		
	डीबीटी निधि	23.13	44.66
18	डीएसटी निधि	9.06	10.72
	योग - VI	32.19	55.39
19	क्षोका, नई दिल्ली		
	उपक्षेपसंयो	5.00	0.69
	योग -VII	5.00	0.69
	कुल योग	956.03	1186.99

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड*
बैंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068.

उद्दिष्ट निधि से प्राप्त निधि
2017-18 में प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(अनुबंध - XVII)
[र.लाख में]

क्र.सं.	निधि का नाम	प्राप्तियाँ	भुगतान
	बोर्ड सचिवालय		
1	निरीक्षण निधि	2.05	2.11
2	श्रमिक कल्याण निधि	0.70	0.80
3	इंडियन सिल्क	2.16	4.19
4	अ व वि निधि	25.22	20.48
5	प्रशिक्षण निधि	2.40	2.40
6	वरेबासंक	75.62	75.62
7	विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति	0.00	0.15
	योग - I	108.15	105.75
	केरेअवप्रसं, मैसूरु		
8	आईसीटीआरईटीएस-प्रशिक्षण	164.66	150.25
9	फार्म विकास निधि	0.00	0.00
	योग - II	164.66	150.25
	केतअवप्रसं, रांची		
10	प्रशिक्षण निधि	3.37	0.10
	योग - III	3.37	0.10
	केरेअवप्रसं, बरहमपूर		
11	प्रशिक्षण निधि	3.13	0.40
	योग - IV	3.13	0.40
	केरेअवप्रसं, पाणपोर		
12	प्रशिक्षण निधि	1.30	1.30
	योग - V	1.30	1.30
	केरेप्रॉअसं -बैंगलूरु		
13	प्रशिक्षण निधि	1.44	0.10
	योग - VI	1.44	0.10
	रारेबीसं, बैंगलूरु		
14	अ व वि निधि	8.88	9.27
15	प्रशिक्षण निधि	1.23	1.23
	योग - VII	10.11	10.50
	कुल योग	292.16	268.40

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशन बोर्ड, बंगलूरु - 560 068				अनुबंध - XVIII			
वर्ष 2017 - 18 व 2018 - 2019 क समाकृत शाष-वार व्यय विवरण							
क्र. सं.	सेवा शीर्ष	घातु वर्ष - 2018 - 2019			पिछला वर्ष - 2018 - 2019		
		मैर योजना	योजना	कुल योग	मैर योजना	योजना	कुल योग
1	वेतन एवं भता	29,074.83	-	29,074.83	23,199.79	-	23,199.79
2	माजदूरी एवं कर्मि/उपदान	3,927.97	1,242.44	5,170.41	3,421.58	1,142.79	4,564.37
3	याचा व्यय		1,125.20	1,125.20	-	835.48	835.48
4	आकस्मिक व्यय						
	1. व्यावसायिक सेवा प्रभार	-	511.48	511.48	-	471.94	471.94
	2. किराया दर एवं कर	-	151.19	151.19	-	188.85	188.85
	3. धार एवं विनायन	-	64.97	64.97	-	77.72	77.72
	4. भवन व वाहनों की मरम्मत व रखरखाव	-	731.29	731.29	-	727.65	727.65
	5. भण्डार/भुद्रण एवं लेखन-सामग्री	-	754.23	754.23	-	796.97	796.97
	6. विपुल एवं जल प्रभार	-	370.87	370.87	-	366.02	366.02
	7. दूरभाष/टेलीफोन/डाक	-	75.08	75.08	-	93.29	93.29
	8. अन्य कार्यालय व्यय	-	308.47	308.47	-	399.02	399.02
	9. प्रदर्शन एवं विस्तार कार्यकलाप	-	418.37	418.37	-	577.19	577.19
	कुल आकस्मिक व्यय (IV)	-	3,385.95	3,385.95	-	3,698.65	3,698.65
5	अन्य						
	1. वेतन एवं उपदान	15,124.36		15,124.36	11,477.21	-	11,477.21
	2. मूलभूत प्रसाधन प्रणाली		103.00	103.00	-	175.00	175.00
	3. उपरोक्त विकास व्यय अ ला ध अ ज ला		2,500.00	2,500.00	-	5,300.00	5,300.00
	कर्मि धारोचित योजना के अधीन विमोचन		1,500.00	1,500.00			
	कुल - अन्य (V)		614.22	614.22		2,824.22	2,824.22
	परिसंपत्तियाँ	15,124.36	4,717.22	19,841.58	11,477.21	8,299.22	19,776.43
6	1. मृति						
	2. भवन एवं अन्य मूल कार्य	-	103.05	103.05	-	-	-
	3. उपकरण/संबंध/समीनरी	-	6.16	6.16	-	42.56	42.56
	4 (I). फर्निचर एवं अन्य कार्यालय उपकरण	-	171.78	171.78	-	255.37	255.37
	4 (II). कम्प्यूटर, प्रिंटर, आदि सखित इलेक्ट्रानिक ऑडिओ एक्सेस	-	34.03	34.03	-	102.32	102.32
	5. वाहन	-	34.04	34.04	-	70.84	70.84
	6. पुस्तकालय पुस्तके एवं वैज्ञानिक जर्नल	-	47.83	47.83	-	27.88	27.88
	7. पंखा एवं बुझनार	-	4.99	4.99	-	6.84	6.84
	कुल परिसंपत्तियाँ (V)	-	0.99	0.99	-	1.60	1.60
	धसूती योग्य अधिम-कार्यचारी	-	402.87	402.87	0.00	507.41	507.41
7	अधिम जमा :	0.62	30.10	30.72		66.26	66.26
8	(क) कर्मिनिधि/राज्य लोनिधि, आदि						
	(ख) दूरभाष/टेलीफोन/फैक्स	-	735.28	735.28	-	1,507.89	1,507.89
	(ग) बिजली	-	-	-	-	0.12	0.12
	(घ) किराया जमा	-	1.35	1.35	-	22.77	22.77
	(ङ) अन्य विधिप जमा	-	-	-	-	4.76	4.76
	(च) आपूर्तिकर्ता/अन्य को अधिम	-	27.48	27.48	-	20.72	20.72
	(छ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ न्यूनतम जमा	-	66.91	66.91	-	37.67	37.67
	(ज) पुस्तकालय जमा	-	0.20	0.20	-	1.23	1.23
	(झ) अधिम भुगतान - कर्मि	-	5.68	5.68	-	5.00	5.00
	(ञ) अधिम भुगतान-जीएसएसआईएस	-	-	-	-	-	-
	(ट) अधिम जमा - अधिम	1.22	0.02	1.24	1.42	0.03	1.45
	कुल अधिम जमा :	1.22	836.92	838.14	1.42	1,600.19	1,601.61
	कुल योग - (I से VIII)	48,129.00	11,740.70	59,869.70	38,100.00	16,150.00	54,250.00

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूरु-560 068

ह/-
(वीर. र. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशन बोर्ड
बंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
बैंगलूर-560 068.

[अनुबंध- XIX]

31.03.2019 को यथा विद्यमान परिक्रामी निधि का शेष

भाग II

[₹. लाख में]

क्रम सं.	विवरण	अथ शेष	जमा	कुल	नामे	अंत शेष
1	एरी-कमाबे-प्रास अग्रिम	3.44	-	3.44	-	3.44
2	एरी-रेबीउके-प्रास अग्रिम	8.33	0.45	8.78	-	8.78
3	एरी-कमाबे-परिक्रामी निधि	106.00	-	106.00	-	106.00
4	एरी रेबीउके	2.50	-	2.50	-	2.50
5	सारेबीसं परिक्रामी निधि	246.00	-	246.00	-	246.00
6	मृगा रेबीउके	8.00	0.11	8.11	-	8.11
7	परिक्रामी निधि बिलासपुर	25.00	-	25.00	25.00	-
8	विजेता मैसूर	9.10	0.38	9.48	1.09	8.39
9	ओक तसर कोसा बैंक/एआरडी	25.80	10.00	35.80	-	35.80
	योग	434.17	10.94	445.11	26.09	419.02

इ/-
(धीरज कुमार)
उप निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

इ/-
(सी. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

(अनुबंध XXक)

[₹. लाख में]

31.03.2019 को यथाविद्यमान पूँजी निधि दर्शाते विवरण

	पूँजी निधि (स्थगित आर)
01.04.2018 को यथाविद्यमान नियत परिसंपत्तियों के शुद्ध खंड का अथशेष	30,225.12
2018-19 के दौरान के नियत परिसंपत्तियों से जोड़	1,357.34
वर्ष 2018-19 के दौरान निपटारे गये/समायोजित परि संपत्तियां	(220.27)
निपटारे गये/समायोजित परिसंपत्तियों पर संचित मूल्य ह्रास	289.20
नियत परिसंपत्तियों के समायोजित शुद्ध खंड	31,651.39
31.03.2019 को यथा विद्यमान सीडब्ल्यूआईपी	1,920.12
केलोनिति को सजित परिसंपत्तियों के लिए की गयी अग्रिम जमा राशि	3,544.11
	37,115.62
चालू वर्ष कां मूल्य ह्रास	(1,121.39)
31.03.2019 को यथाविद्यमान पूँजी निधि- अनुसूची- I में दर्शाया है ।	35,994.23

(अनुबंध XX -ख)

वर्ष 2018-19 के लिए पूँजीनिधि में किए गए अंशदान का ब्यौरा दर्शाते विवरण

[₹. लाख में]

	2018-19	2017-18	बढ़ा/घटा
नियत परिसंपत्ति (अनुसूची 8)	30,530.00	30,225.12	304.88
सीडब्ल्यूआईपी (अनुसूची 8)	1,920.12	2,550.91	(630.79)
केलोनिति जमा (अनुसूची 11)	3,544.11	3,567.47	(23.36)
योग	35,994.23	36,343.50	(349.27)

ह/-
(धीरज कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

ह/-
(सीए. ए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

कच्छा माल बैंक (तसर डिपो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड चाईबासा - 833 201 31.3.2019 को यथा विद्यमान प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा "कार्यशील पूँजी निधि"										
क्र सं.	प्राप्तियां	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र No	भुगतान	2017-18 राशि	2018-19 राशि	रु लाख में		
1	अथ शेष : भारतीय स्टेट बैंक, चाईबासा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चाईबासा बैंक ऑफ इंडिया, चाईबासा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायगढ़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भागलपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भण्डारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वारंगल	4.49 48.54 0.40 10.45 15.40 0.05 0.47	5.14 150.71 37.05 18.38 3.27 0.05 0.47	1 2 3 4 5 6 7	क्रय: कोसा रेशम सूत इंठल रेशम सूत बोरियाँ आकारिस्मक व्यय परिवहन प्रभार	27.10 0.74 0.48 11.20 2.79	71.06 1.02 0.19 0.50 0.44 2.14			
2	विक्रय: कोसा रेशम अपशिष्ट रेशम सूत बोरियां इंठल	203.02 0.20 7.11 0.33	95.29 1.28 4.95 0.17	8 9 10	विविध लेनदारों को भुगतान पार्टी से प्राप्त अग्रिम अंत शेष : बैंक ऑफ इंडिया, चाईबासा भारतीय स्टेट बैंक, चाईबासा	147.96 55.30 5.14 150.71	137.56 49.41 5.73 55.08			
3	सावधि जमा प्राप्तियों पर ब्याज	2.66	0.26		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भागलपुर	37.05	8.12			
4	विविध प्राप्तियां	0.05	0.01		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रायगढ़	18.38				
5	देनदारों से प्राप्त नगद	15.85			सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भागलपुर	3.27				
6	हानि समकारी निधि सावधि जमा प्राप्तियों पर ब्याज				सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वारंगल	0.47	0.46			
7	हानि समकारी निधि सावधि जमा प्राप्तियों पर ब्याज				सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भण्डारा	0.05	2.14			
8	पार्टी से प्राप्त अग्रिम	151.62	67.60	11	कार्यशील पूँजी को समर्पित करना		50.00			
9	सावधि जमा प्राप्तियों के पास-व्यापार-निधि का निवेश		2.05	12	सावधि जमा प्राप्ति के पास-व्यापार-निधि का निवेश					
10	बयाना जमा राशि	460.64	389.19	13	विभागीय अग्रिम					
	योग :	460.64	389.19	14	वापस किया गया बयाना राशि	460.64	389.19			
	योग :				योग :	460.64	389.19			

(तसर डिपो)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड

चाईबासा - 833 201

31.3.2019 को यथा विद्यमान व्यापार लेखा
"कार्यशील पूंजी लेखा"

[रु लाख में]

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	को :				द्वारा:		
a	अथ शेष:	99.85	74.74	1	कोसा बिक्री खाता	225.32	155.19
b	तसर/ओक तसर	14.11	11.23	2	तसर/रेशम/कोसा अपशिष्ट	0.20	1.29
	तसर/शहतूत सूत	0.05	0.06	3	सूत बिक्री खाता	7.11	5.05
	तसर/रेशम/कोसा अपशिष्ट खाता	0.22	0.22	4	बोरियाँ बिक्री खाता	0.41	0.27
2	बोरियाँ	180.78	197.93	5	अंत शेष :		0.39
3	कोसा क्रय खाता	0.19	1.22	I.	तसर कोसा:		
4	रेशम/को/अपशिष्ट खरीदी खाता	0.01	0.01				
5	इंठल	3.76	2.08	क	मुख्य डिपो, चाईबासा	51.49	105.98
5	सूत खरीदी खाता	0.01	0.30	ख	त 3 डि, भागलपुर	5.01	11.34
6	इंठल खरीदी खाता	0.48	0.44	ग	त 3 डि, रोंगगढ़	17.36	6.38
7	बोरियाँ	2.79	5.34	घ	त 3 डि, भण्डारा	0.88	8.89
7	परिवहन प्रकार (आवक)	17.06	10.39	II	तसर शहतूत सूत:		
8	लाभ व हानि खाता में स्थानांतरित व्यापार अधिशेष			क	मुख्य डिपो, चाईबासा	11.23	8.63
				III	पेंडगल :		
				III	मुख्य डिपो, चाईबासा	0.01	0.02
				III	बोरियाँ :		
				क	मुख्य डिपो, चाईबासा	0.15	0.28
				ख	त 3 डि, भागलपुर	0.03	0.04
				ग	त 3 डि, रोंगगढ़		
				घ	त 3 डि, भण्डारा		
				IV.	तसर/रेशम/कोसा अपशिष्ट		
				क	मुख्य डिपो, चाईबासा	0.02	0.16
				ख	त 3 डि, भागलपुर	0.04	0.02
				ग	त 3 डि, रोंगगढ़	0.01	0.03
					त 3 डि, भण्डारा		
	योग	319.31	303.96		योग	319.31	303.96

कच्चा माल बैंक (तसर डिपो)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
चाईबासा - 833 201

[₹ लाख में]

31.03.2019 को यथा विद्यमान लाभ व हानि लेखा "कार्यशील पूँजी लेखा"

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	आकस्मिक व्यय	11.20	2.14	1	व्यापार खाता से स्थानांतरित कुल लाभ से	17.06	10.39
2	लाभ व हानि विनियोजन लेखा में स्थानांतरित शुद्ध अधिशेष	18.87	23.98	2	सा ज प्रा पर प्राप्त ब्याज	12.81	15.57
				3	सावधि जमा प्राप्ति (हा स नि) पर प्राप्त ब्याज	0.05	0.01
				4	अन्य विविध प्राप्ति (सेवा प्रभार/बाजार शुल्क छूट)		
				5	सावधि जमा प्राप्ति पर प्रोद्भूत ब्याज		
		30.07	26.12	6	सावधि जमा प्राप्ति हा स नि पर प्रोद्भूत ब्याज	0.15	0.15
	योग	30.07	26.12			30.07	26.12

31.03.2019 को यथा विद्यमान लाभ व हानि लेखा "कार्यशील पूँजी लेखा"

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	सावधि जमा प्राप्ति (हानि समकारी निधि) पर प्रोद्भूत ब्याज हानि समकारी निधि को स्थानांतरित	0.15	0.15	1	शेष से	312.31	331.03
2	तुलन-पत्र में स्थानांतरित शुद्ध अधिशेष	331.03	354.86	2	लाभ व हानि खाते से स्थानांतरित शुद्ध अधिशेष	18.87	23.98
	योग	331.18	355.01		योग	331.18	355.01

31 मार्च 2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र " कार्यशील पूँजी "

क्र सं	पूँजी व देयताएं	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र सं	परिसंपत्ति	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	कार्यशील पूँजी:			I	वर्तमान परिसंपत्ति:		
a	एस टी एस से निधि	24.49	24.49	a	इति स्टॉक	86.27	141.78
b	आईएसटीपी से निधि	15.00	15.00	b	बैंक में नकद:		
c	आईएसटीपी से निधि (कमाबै,मालदा)			1	भा स्टे बैं, चाईबासा के साथ चा/खा	5.14	5.73
d	त 3 डि वारंगल के लिए निधि	15.00	15.00	2	सें बैं ओ इं, चाईबासा के साथ चा/खा	150.71	55.08
e	त 3 डि भण्डारा के लिए निधि	10.00	10.00	3	बैंक ऑफ इंडिया, चाईबासा के साथ चा/खा	37.05	8.12
2	प्रारक्षित & अधिशेष			4	सें बैं ओ इं, भागलपुर के साथ चा/खा	3.27	
a	लाम व हानि विनियोजन खाता से स्थानांतरित शुद्ध लाभ	331.03	354.86	5	सें बैं ओ इं, रायगढ़ के साथ चा/खा	18.38	
3	हानि समकारी निधि	3.31	3.46	6	सें बैं ओ इं, भण्डारा के साथ चा/खा	0.05	2.14
3.a	बयाना जमा राशि			7	सें बैं ओ इं, वारंगल के साथ चा/खा	0.47	0.46
4	विविध लेनदार	8.93	0.12	II	जमा व निवेश:		
5	पार्टी से प्राप्त अग्रिम	107.39	65.54	1	सावधि जमा प्राप्तियां	183.25	231.21
6	उ प्र सरकार की ओर से भारत सरकार को ऋण क) सहायता अनुदान से केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रदत्त बकाया ऋण ख) उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने पर भारत सरकार को देय ऋण पर ब्याज	5.00	5.00	2	सावधि जमा प्राप्तियां (हा स नि)	1.88	1.88
				3	सावधि जमा प्राप्तियों पर प्रोद्भूत ब्याज	13.77	26.83
				4	सावधि जमा प्राप्तियों(हा स नि) पर प्रोद्भूत ब्याज ऋण व अग्रिम:	0.16	0.32
				III	ऋण व अग्रिम:		
				1	उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण	15.00	15.00
				2	एनडीयु को विभागीय/आकस्मिक अग्रिम		
				3	उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण पर ब्याज :		
				4	उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त योग्य ब्याज क मा बैं द्वारा प्रदत्त ऋण पर	4.85	4.85
				5	उत्तर प्रदेश सरकार से बाकी ब्याज	50.95	50.95
	योग :	571.20	544.52		योग :	571.20	544.52

अनुबंध - XXII

मूंगा कच्चा माल बैंक
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार
शिवसागर (असम)
2018-19 के लिए प्राप्ति व भुगतान लेखा

[रु लाख में]

क्र सं	विवरण	प्राप्तियां		भुगतान	
		2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1	अथ शेष : बैंक में नकद	6.17	6.60		
2	अग्रिम लेखा [आकस्मिक]	0.50		0.50	
3	अग्रिम लेखा [गैर प्रत्यायोजित इकाई]	0.26		0.26	
4	सा ज प्रा लेखा	23.34		33.14	
5	आ ज प्रा हा स नि लेखा	0.80		0.97	
6	ब्याज प्राप्ति (आ ज प्रा)	9.81			
7	ब्याज प्राप्ति - आ ज प्रा (हा स नि)	0.17			
8	मूंगा कोसा का क्रय			2.31	2.40
9	कटे मूंगा कोसों का क्रय			6.23	2.23
10	एरी छिद्रित कोसों का क्रय			7.36	1.17
11	मूंगा कोसों की बिक्री	2.43			
12	कटे मूंगा कोसों की बिक्री	6.68	2.80		
13	एरी कोसों की बिक्री	7.48	2.98		
14	एरी सूत की बिक्री		1.46		
15	परिवहन प्रभार		0.16		
16	अन्य विकास कार्यक्रम			0.01	
17	कार्यशील पूंजी			0.25	
18	मुद्रित व लेखन सामग्री			0.01	
19	अंत शेष : बैंक में नकद			6.60	8.20
	योग	57.64	14.00	57.64	14.00

मूगा कच्चा माल बैंक
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
शिवसागर (असम)
वर्ष 2018-2019 का व्यापार लेखा

[रु लाख में]

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	अथ शेष			1	बिक्री :		
2	कटे मूगा/छिद्रित कोसों की खरीदी	8.54	2.23		क) i. मूगा कोसे (मुख्यालय)	2.43	2.80
3	मूगा व एरी कोसों की खरीदी	7.36	2.40		ii. एरी छिद्रित कोसे	7.48	1.46
4	मुद्रण व लेखन सामग्री		1.17		ii. कटे मूगा कोसे	6.68	2.98
5	परिवहन प्रभार	0.02		2	iv. एरी सूत		0.16
6	अन्य विकास कार्यक्रम	0.25			अंतिम स्टॉक		
7	लाभ व हानि खाता	0.42	1.60				
	योग	16.59	7.40		योग	16.59	7.40

मृगा कच्चा माल बैंक
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
शिवसागर (असम)

[रु लाख में]

वर्ष 2018-2019 के लिए लाभ व हानि खाता

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	लाभ व हानि विनियोजन खाता में स्थानांतरित शुद्ध अधिशेष	12.52	6.86	1	व्यापार लेखा से स्थानांतरित शुद्ध लाभ	0.42	1.60
				2	आ ज प्रा पर प्राप्त ब्याज से	2.11	5.16
				3	आ ज प्रा पर प्रोद्भूत ब्याज से	9.81	0.03
				4	आ ज प्रा (ला स नि)पर प्राप्त ब्याज से	0.06	0.07
				5	आ ज प्रा (ला स नि)पर प्रोद्भूत ब्याज से	0.12	
	योग	12.52	6.86		योग	12.52	6.86

मृगा कच्चा माल बैंक
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
शिवसागर (असम)

[रु लाख में]

वर्ष 2018-2019 के लिए लाभ व हानि विनियोजन

क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र सं	विवरण	2017-18 राशि	2018-19 राशि
1	आ ज प्रा (ला स नि लेखा) पर प्रोद्भूत ब्याज	0.12	0.07	1	व्यापार अधिशेष से	134.03	146.43
2	हासिल लेखा को स्थानांतरित	146.43	152.04	2	लाभ व हानि लेखा से स्थानांतरित	12.52	6.86
3	तुलन पत्र में स्थानांतरित शुद्ध अधिशेष		1.18	3	शुद्ध अधिशेष से		
	अतिरिक्त ब्याज का समायोजन						
	योग	146.55	153.29		योग	146.55	153.29

मूगा कच्चा माल बैंक
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
शिवसागर (असम)
31.3.2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र (कार्यशील पूंजी खाता)

[₹ लाख में]

क्र सं	देयतारं	2017-18 राशि	2018-19 राशि	क्र सं	परिसंपत्तियां	2017-18 राशि राशि	2018-19 राशि
1	सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलूरु से निधि	10.00	10.00	1	i) बैंक में नकद	6.60	8.20
2	हानि समकारी निधि :	2.38	2.45	2	जमा राशि :	138.19	146.82
3	लाभ व हानि विनियोजन खाता लेखा से स्थानांतरित शुद्ध व्यापार अधिशेष	146.43	152.04		i) आ ज प्रा ii) आ ज प्रा(हा स नि) iii) प्रतिभूति जमा	2.29 0.03	2.44 0.03
				3	आजप्रा पर प्रोद्भूत ब्याज	9.81	5.16
				4	आ ज प्रा (हसनि) पर प्रोद्भूत ब्याज	0.12	0.07
				5	विविध देनदार	1.77	1.77
	योग	158.81	164.49		योग	158.81	164.49

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सामान्य भविष्य निधि

वर्ष 2018-19 में सामान्य भविष्य निधि की प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण

क्रम सं.	प्राप्तियाँ	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019	क्रम सं.	भुगतान	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019
1	अथ शेष (सैं.बैंक ऑफ इण्डिया)	1.98	8.96	1	सामान्य भविष्य निधि अग्रिम	2,418.97	2,313.86
2	एचडीएफसी बैंक	147.76	16.74	2	आंशिक तथा अन्तिम निकाली	1,514.91	1,806.62
3	अंशदान तथा अग्रिम की वापसी प्रतिभूतियों की वसूली	5,992.14	6,237.43	3	पूर्ण एवं अंतिम निवृत्तन	2,631.59	3,737.95
4	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	2,139.25	2,071.07	4	प्रतिभूतियों पर निवेश	7,280.50	6,482.93
5	अन्य आय	6.37	8.70	5	विविध (पोस्ट)	58.79	33.99
6	वेतन कटौतियां	8.68	21.33	6	अन्य वेतन कटौतियों का अंतरण	8.68	11.32
				7	विविध भुगतान	0.04	0.05
				8	अंत शेष (बैंक) सैं. बैंक ऑफ इ. एचडीएफसी	8.96	23.75
					योग	16.74	444.36
		8,296.18	14,854.83		योग	13,939.18	14,854.83

(लाख रु. में)

(बी.नरियप्पा)
उपनिदेशक (प्र व ले)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

(सीए मनोहरन, ए.)
संयुक्त निदेशक (हित)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

(डॉ.नरेंद्र रेवेल्ली)
निदेशक (हित)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

(राजित रंजन ओयडियार)
सदस्य सचिव
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु - 560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सामान्य भविष्य निधि

वर्ष 2018-19 के आय व व्यय

(लाख रु. में)

क्रम सं.	व्यय	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019	क्रम सं.	आय	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019
1	अंशदाता खाता में डाला गया ब्याज	1,749.94	1,802.25	1	प्रतिभृतियों पर अर्जित ब्याज	2,101.10	2,117.64
2	व्यय के ऊपर अधिक आय	357.49	324.05	2	अन्य आय	6.33	8.66
	योग	2,107.43	2,126.30		योग	2,107.43	2,126.30

INCOME & EXPENDITURE APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR 2018-2019

क्रम सं.	विवरण	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019	क्रम सं.	विवरण	पिछला वर्ष 2017-2018	चालू वर्ष 2018-2019
1	तलन पत्र में स्थानान्तरित राशि	1,647.07	1,936.82	1	शेष बैंक जमा द्वारा	357.49	324.05
2	निवेश मूल्य निर्धारण में अधिशेष	-	34.30	2	तलन पत्र से स्थानान्तरित अथ शेष	1,282.33	1,647.07
3	निष्क्रिय खाते का लेखाकरण	-	-	3	निवेश मूल्यांकन में अधिशेष	7.25	-
	योग	1,647.07	1,971.12		योग	1,647.07	1,971.12

(बी. मरियप्पा)
उपनिदेशक (प्र व ले)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

(सीए मनोहरन, ए.)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

(डॉ. नरेंद्र रेवेल्लु)
निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

(राजित रंजन ओबडियार)
सदस्य सचिव
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बंगलूरु-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर - 560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड सामान्य भविष्य निधि

31.03.2019 को यथाविद्यमान तुलनपत्र

क्रम सं.	व्यय	पिछला वर्ष		क्रम सं.	आय	पिछला वर्ष		(लाख रु. में)
		2017-2018	2018-19			2017-2018	2018-19	
1	अंशदान खाते में देय राशि	24,117.83	24,299.08	1	बैंक शेष : स. बैंक ऑफ इ. : एचडीएफसी	8.96	23.75	
2	व्यय के ऊपर अतिरिक्त आय	1,647.07	1,936.82	2	प्रतिभूतियों पर निवेश	16.74	444.36	
3	अन्य को देय राशि	-	10.01	3	प्रोक्त व्यय	25,003.62	24,961.66	
	योग	25,764.90	26,245.91		योग	25,764.90	26,245.91	

(श्री. मरियप्पा)
उपनिदेशक (प्र व ले)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

(सीए मनोहरन, ए.)
संयुक्त निदेशक (हिन)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

(डॉ. नरेंद्र रेवेल्ली)
निदेशक (हिन)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

(राजित रंजन ओखंडियार)
सदस्य सचिव
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

वर्ष 2018-2019 के लिये केन्द्रीय रेशम बोर्ड कर्मचारी बीमा योजना लेखा

क्रम सं.	प्राप्तियों	पिछला वर्ष		चालू वर्ष		SL No	भुगतान	पिछला वर्ष		(लाख रु. में)
		2017-2018	0.010	2018-2019	0.018			2017-2018	2018-2019	
1	अथ शेष	0.010	0.018	1	भुगतान	0.350	0.050		-	
2	वर्ष के दौरान अंशदान	0.010	0.002	2	अधिकृत के भुगतान द्वारा	0.020	0.020		0.020	
3	सहायता अनुदान से प्राप्त राशि	0.350	0.050		अंत शेष					
	योग	0.370	0.070		योग	0.370	0.070		0.070	

(वी.मरियप्पा)
उपनिदेशक (प्र व ले)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

(सीए. मनोहरन)
संयुक्त निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068

(डॉ.नरेंद्र रेवल्ली)
निदेशक (वित्त)
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बैंगलूर-560 068